केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक 500)

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का मूल्यांकन प्रतिवेदन

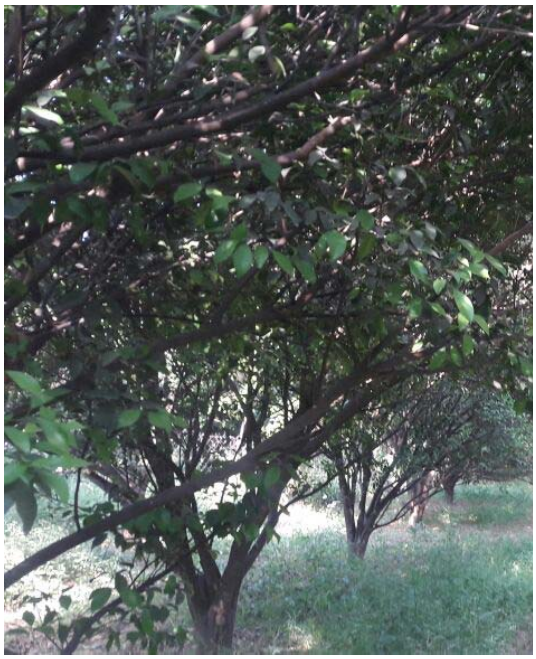

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, जयपुर

उद्‌बोधन

वर्तमान कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें यथा फल, सब्जी, मसाला फूल वाली फसलें, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों आदि को बढ़ावा दिये जाने के उद्धेश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना प्रारम्भ की गई।

योजनान्तर्गत कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार फसलों की उन्नत किस्मों से नये क्षेत्रों में उद्यानों की स्थापना हेतु अनुदान/सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे फल, सब्जी, मसाला, फूल एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादकता में सुनियोजित ढंग से वृद्धि हो सके।

योजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि गुणवत्ता युक्त पौधों हेतु पौधशालाओं का विकास, फसलोत्तर प्रबन्धन, मूल्य संवर्द्धन तथा बाजार सुदृढीकरण आदि हेतु अत्यन्त सराहनीय योजना है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन, निर्धारित उद्धेश्यों की प्राप्ति तथा योजना को अधिक लोकप्रिय बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में यथा स्थान व्यवहारिक सुझाव अंकित किये गये हैं

मुझे आशा है कि प्रतिवेदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कार्यकारी विभाग के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

माह : मार्च, 2018
स्थान : जयपुर

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

कृषि की विविधता एवं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान के उद्यानिकी विकास की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर फल, सब्जी, मसाला, फूल व औषधीय फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 1990–91 से राज्य योजना व केन्द्रीय सहायता के माध्यम से योजना प्रारम्भ की गई। इसी परिदृश्य में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना प्रारम्भ की गई।

राज्य में उद्यान विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का मूल्यांकन प्रमुख शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

मूल्यांकन प्रतिवेदन में उद्यानिकी विभाग से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं तथा कृषक लाभार्थी, सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान प्राप्त विचारों के आधार पर व स्थापित नये उद्यानों का भौतिक सत्यापन व अवलोकन कर योजना के सफल संचालन हेतु विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

मैं आशा करती हूँ कि मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

(साधना भट्ट)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

माह– मार्च, 2018
स्थान– जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - xi
1	अध्ययन संरचना	1 – 10
2	प्रगति समीक्षा	11 – 17
3	अध्ययन निष्कर्ष	18 – 29
4	कठिनाइयां एवं सुझाव	30 – 32
	परिशिष्ट–अ	33
	परिशिष्ट–ब	34
	परिशिष्ट–स	35

———

प्रतिवेदन लेखन/ प्रकाशन में सहयोगी अधिकारी/ कार्मिक

श्री आर.के.सिंह
संयुक्त निदेशक

श्रीमती अंजु पारीक
सहायक निदेशक

श्री सीताराम यादव
सहायक निदेशक

श्री भूपेन्द्र शर्मा
अनुसंधान सहायक

श्रीमती मोहिनी लख्यानी
स्टेनो

.....

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I परिचयात्मक :

वर्तमान कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें, फल, सब्जी, मसाला, फूल वाली फसलें, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे आदि को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना प्रारम्भ की गयी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन हेतु पौधशालाओं का विकास, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों का विकास, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं मूल्य संवर्धन तथा बाजार सुदृढ़ीकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फसलों से सम्बद्ध प्रमुख क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे है।

II नये उद्यानों की स्थापना :

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार जिलेवार चयनित बागवानी फसलों जैसे फल, फूल, मसाले तथा सुगन्धित पौधों की उन्नत किस्मों से नये क्षेत्रों में उद्यानों की स्थापना की जाती है। इन उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्ड के अनुसार अनुदान/ सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

III देय अनुदान :

प्रत्येक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर तक सहायता/ अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान/ सहायता राशि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में क्रमशः 60:20:20 के अनुपात से तीन किश्तों में (विभक्त करके) उन्नत पौध रोपण सामग्री व समन्वित पोषक तत्व/ कीट व्याधि प्रबन्ध इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अनुदान/ सहायता राशि फल बगीचों में क्रमशः 75 प्रतिशत व 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर आधारित होती हैं।

IV अनुदान की गणना :

कार्यक्रम अन्तर्गत बगीचों के लिये ड्रिप सिंचाई संयत्र की स्थापना किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2012–13 व 2013–14 में नये क्षेत्र में उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्डानुसार अनुदान /सहायता का प्रावधान निम्नानुसार है :–

अ सामान्य पौध रोपण हेतु :

नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान सहायता का भुगतान फल वृक्षवार इकाई लागत को आधार मानते हुए लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम, 30,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर की सीमा में तीन किश्तों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 60 : 20 : 20 के अनुपात में रेखांकित चैक/ ड्राफ्ट या जहां

इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर या मनी ट्रान्सफर सुविधा द्वारा किसान के खाते में जमा किया जाता है तथा कृषक को इस आशय की सूचना भिजवाई जाती है।

ब हाई डेनसिटी प्लानिंग :

नये फल बगीचों की सघन बागवानी स्थापना पर अनुदान का भुगतान फलवृक्षवार (आम, अमरूद व अनार) इकाई की लागत को आधार मानते हुए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रूपये की सीमा में तीन किश्तों में सीधे किसान के खाते में जमा किया जाता है तथा इस आशय की सूचना से किसान को अवगत कराया जाता है।

स नॉन पैरिनियल फल :

पपीता आदि में नये फल बगीचों की स्थापना पर निर्धारित की गयी सांकेतिक लागत की 75 प्रतिशत(अधिकतम 30,000 रूपये प्रति हैक्टेयर) अनुदान राशि का भुगतान 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में क्रमशः प्रथम व द्वितीय वर्ष में किया जाता है।

V वर्ष 2014–15 में नये क्षेत्र के उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्ड के अनुसार अनुदान/ सहायता उपलब्ध कराये जाने का विवरण निम्नानुसार है :

सहायता प्रावधान

क्र. सं	कम्पोनेन्ट		सहायता प्रावधान
1	अधिक मूल्य वाली फसलें यथा पपीता	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 80,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
2	सघन बागवानी फलोद्यान की स्थापना फसलें आम, अमरूद व अनार	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 60,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।

क्र. सं	कम्पोनेन्ट		सहायता प्रावधान
3	सामान्य अन्तराल वाली फसलें आंवला, बेर, संतरा, मौसमी, नीबू, अमरूद, आम व अनार	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हैक्टेयर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।

VI अनुदान प्रक्रिया :

1 नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान / सहायता का भुगतान रेखांकित चैक/ ड्राफ्ट या जहां इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर या मनी ट्रान्सफर सुविधा द्वारा किया जाता है।

2 कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार बगीचों हेतु ड्रिप संयत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

3 प्रथम वर्ष में कृषकों को क्षेत्र के अनुसार आवश्यक पौधों से 10 प्रतिशत पौधे अधिक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

4 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में गेप फिलिंग हेतु पौधे उपलब्ध करवाये जाकर फल बगीचों में पौधों की पूर्ण संख्या सुनिश्चित की जाती है।

5 प्रति कृषक न्यूनतम 0.4 एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये अनुदान देय है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम सीमा 0.2 हैक्टेयर निर्धारित है।

6 कृषक को जिले के लिये चयनित फसल के लिये ही अनुदान देय होता है।

7 फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त उन्नत किस्मों की पौध रोपण सामग्री कृषक को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

8 बहुवर्षीय फलदार पौधों में नीबूं के अतिरिक्त अन्य फलों के बगीचों की स्थापना में बीज से तैयार पौधे रोपण सामग्री का उपयोग नहीं किये जाने का प्रावधान है।

9 नये फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रति इकाई निर्धारित पौधों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110 प्रतिशत) परिवहन एवं रोपण के समय पौध की मृत्यु के पेटे दिये जाते हैं।

10 फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खोदे जाने आवश्यक होते हैं।

11 कृषकों को पौधे एवं गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान का उपयोग कृषक के द्वारा किया जावेगा। इस बाबत कृषक से एक शपथ–पत्र लिया जाता है। अनुदान राशि का भुगतान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा कृषकों को किया जाता है।

12 जो कृषक स्वयं के स्तर से आदान उपयोग में लेने से सहमत नहीं होते हैं उन कृषकों को गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान (उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि) निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी के द्वारा जारी परमिट से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता हैं। यह अनुदान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के पश्चात् ही उपलब्ध करवाया जाता हैं।

13 कृषकों द्वारा फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदान आवेदन–पत्र के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप संयत्र के अनुदान के लिये भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं।

14 द्वितीय व तृतीय वर्ष की किश्त के लिये पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन यथासम्भव मई व जून माह में किये जाने का प्रावधान है।

15 द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुदान राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना के अन्तर्गत स्थापित बगीचे में द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित हो।

16 हाई डेनसिटी प्लानटिंग में पौध रोपण के साथ केनोपी मैनेजमेन्ट पर ध्यान देने हेतु कृषक को आवश्यक तकनीक/ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

17 सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर सम्बन्धित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान/ सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

18 नये फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषक के स्तर से उपयोग में लिया गया आदान गोबर की खाद (Farm Yard Manure) कृषक की हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होता है। गोबर की खाद की दर एक रुपये प्रति किलोग्राम / वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर करने का प्रावधान है।

19 नये स्थापित फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

20 फल बगीचों की स्थापना हेतु आवश्यक पौधों की व्यवस्था कृषक के स्तर से नहीं की जाकर राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अथवा राजहंस के माध्यम से कृषकों को पौधे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

21 यदि कोई कृषक किसी राजकीय उपक्रम/ कृषि विश्वविद्यालय/ कृषि महाविद्यालय / अर्द्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाएं/ अनुसंधान केन्द्र/ फार्म अथवा अन्य कोई भी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

VII कृषक चयन की आवश्यक शर्तें :

1 कृषकों का चयन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।
2 फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किये जाने का प्रावधान है।
3 कृषकों के चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लेने एवं सम्भव हो सके तो महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किये जाने का प्रावधान है।
4 चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5 कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई विधि अपनाने के लिये सहमत हो।
6 आधुनिक हाईटेक बागवानी अपनाने के इच्छुक कृषक को चयन में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

VIII योजना की प्रगति :

राज्य में वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक कुल 21295.74 हैक्टेयर बागानों पर कुल 2422.29 लाख रूपये का व्यय हुआ।

IX मूल्यांकन की आवश्यकता :

योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के लिये उपलब्ध करायी गयी अनुदान / सहायता राशि की उपयोगिता एवं इसका लाभार्थी कृषकों पर पड़े प्रभावों का आंकलन करने के उद्वेश्य से प्रमुख शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

X मूल्यांकन के उद्धेश्य :

मूल्यांकन कार्य निम्नलिखित उद्धेश्यों को मध्यनजर रखते हुये किया गया :

1 योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।
2 योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता का आंकलन करना !
3 योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सहायता/ अनुदान की उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयोगिता का आंकलन करना।
4 योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना से बागवानी फसले जैसे फल, फूल, मसाले के उत्पादन पर पड़े प्रभावों का आंकलन करना।

5 योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों के जीवनस्तर पर पड़े प्रभावों का आंकलन करना।

6 योजना संचालन में विभिन्न स्तरों पर अनुभूत कठिनाइयां ज्ञात कर प्रभावी संचालन हेतु सुझाव देना।

XI न्यादर्श परिकल्पना :

वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक योजनानतर्गत स्थापित नये उद्यानों में अधिकतम हैक्टेयर वाले उद्यानों के आधार पर दो सम्भाग क्रमशः अजमेर व कोटा का चयन कर चयनित सम्भाग में से अधिकतम हैक्टेयर वाले उद्यानों के आधार पर ही एक–एक जिले भीलवाड़ा एवं झालावाड़ का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित जिले से अधिकतम हैक्टेयर वाले उद्यानों की दो पंचायत समितियों का चयन कर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से संदर्भित वर्षों के लाभान्वितों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 15–15 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन करते हुये कुल 60 लाभार्थियों का चयन किया।

XII अध्ययन उपकरण :

योजना के मूल्यांकन हेतु राज्य/जिला प्रलेख अनुसूची, लाभार्थी अनुसूची, सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची तथा अवलोकन टिप्पण से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया।

XIII सन्दर्भ अवधि :

अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनायें वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक की अवधि की तथा अन्य सूचनायें सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

XIV राज्य स्तरीय प्रगति समीक्षा :

(i) योजना की भौतिक प्रगति :

वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक राज्य के 24 जिलों में 25503 हैक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 21295.74(83 प्रतिशत) हैक्टेयर उद्यानों की स्थापना की गयी। जिसमें से कोटा सम्भाग में 11225 हैक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 12928.71 हैक्टेयर (115 प्रतिशत) लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी। मरूस्थलीय क्षेत्र बीकानेर में मात्र 36 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी।

(ii) वित्तीय प्रगति :

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक (तीन वर्षों में) 3608.87 लाख रूपये के विपरीत 2422.29(67.00 प्रतिशत) लाख रूपये नये बागानों की स्थापना पर व्यय किये गये। 24 जिलों में से 9(37 प्रतिशत) जिलों में आवंटित राशि 50 प्रतिशत से कम व्यय की गयी। शेष 15(63 प्रतिशत) जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की गयी।

XV चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

(i) योजना की भौतिक प्रगति

वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक झालावाड़ जिले में 11584 हैक्टेयर तथा भीलवाड़ा जिले में 796 हैक्टेयर में नये उद्यानों की स्थापना की गयी। सन्दर्भित अवधि में झालावाड़ जिले में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि 118 प्रतिशत तथा भीलवाड़ा जिले में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत अर्जित की गयी।

(ii) योजना की वित्तीय प्रगति

वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक 1500.73 लाख रूपये की आवंटित राशि में से 1403.58(94 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये। झालावाड़ जिले में 1241.79 लाख रूपये का तथा भीलवाड़ा जिले में 161.76 लाख रूपये का व्यय किया गया।

XVI अध्ययन परिणाम :

चयनित दो जिलों के लाभान्वित कृषकों से 60 लाभार्थी अनुसूचियां भरी गयी। योजना की क्रियान्विति के बारे में सम्बन्धित अधिकारी/ स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तियों से साक्षात्कार कर योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी एवं उनके विचार प्राप्त कर 11 सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूचियां भरी गयी।

योजना के मूल्यांकन हेतु चयनित दो जिलों के योजनान्तर्गत लाभान्वित 60 कृषकों से मूल्यांकन दल के सदस्यों द्वारा साक्षात्कार कर जानकारी उपलब्ध की गयी, उनका विवरण इस प्रकार है :

(i) कृषकों की आयु का विवरण :

चयनित लाभार्थी कृषकों में से अधिकांश 30(50.00 प्रतिशत) लाभार्थी 50 से 75 वर्ष आयु वर्ग के थे। जबकि सबसे कम मात्रा एक (3.00 प्रतिशत) लाभार्थी 25 वर्ष से कम आयु के थे।

(ii) जातिवार वर्गीकरण :

चयनित लाभार्थियों में 48 प्रतिशत लाभार्थी कृषक अन्य पिछड़ा वर्ग के, 43 प्रतिशत लाभार्थी सामान्य वर्ग के, 7 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के एवं 2 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति के पाये गये।

(iii) कृषको के पास उपलब्ध भूमि का विवरण :

चयनित लाभार्थियों में से 95 प्रतिशत लाभार्थियों के पास 5 हैक्टेयर तथा 5 प्रतिशत लाभार्थियों के पास 5 से 10 हैक्टेयर तक स्वयं की भूमि पायी गयी।

(iv) **पौधे प्राप्ति हेतु कृषक हिस्सा राशि का विवरण :**

योजनान्तर्गत पौध प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी कृषकों ने पौध की संख्या व लागत के अनुसार कृषक हिस्सा राशि सम्बन्धित सोसायटी/नर्सरी में जमा करवायें। रूपये 2001 से 4000 रूपये तक 33 प्रतिशत लाभार्थियों ने, रूपये 4001 से 6000 रूपये तक 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने, रूपये 1 से 2000 रूपये तक 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने, 10001 रूपये से अधिक 9 प्रतिशत लाभार्थियों ने, 8001 से 10000 रूपये तक 7 प्रतिशत लाभार्थियों ने एवं 6001 से 8000 रूपये तक 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषक हिस्सा राशि के रूप में राशि सम्बन्धित सोसायटी में जमा करवाये।

(v) **कृषकों द्वारा आवेदन का विवरण :**

चयनित 60(100.00 प्रतिशत) लाभार्थियों में से 43 प्रतिशत लाभार्थियों ने एक हैक्टेयर तक, 40 प्रतिशत लाभार्थियों ने 1–2 हैक्टेयर तक, 10 प्रतिशत लाभार्थियों ने 3–4 हैक्टेयर तक तथा 7 प्रतिशत लाभार्थियों ने 2–3 हैक्टेयर तक के लिये अनुदान/सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया।

(vi) **उपलब्ध करायी गई अनुदान राशि का विवरण :**

योजनान्तर्गत अनुदान/सहायता राशि का भुगतान लाभान्वित कृषक को रोपित/स्थापित बगीचों के क्षेत्र के अनुसार ही किया गया है। जिस कृषक ने अधिक (हैक्टेयर) क्षेत्रफल में बाग स्थापित किये उसे अधिक अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है तथा जिस कृषक ने कम क्षेत्रफल में बाग स्थापित किया उसे उसी अनुपात में कम अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करायी गई।

XVII कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मूल्यांकन अध्ययन के क्षेत्र कार्य के दौरान लाभार्थी कृषकों, सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान मिशन के क्रियान्वयन में अनुभूत की गयी कठिनाइयों एवं उनके निवारण हेतु दिये गये सुझावों का विवरण निम्नानुसार है :

(i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य के 24 जिलों में स्वीकृत जिलेवार फसलों के लिये ही अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाती है। जलवायुवीय बदलती स्थितियों में चयनित जिलेवार फसलों के अतिरिक्त अन्य फसल जिससे कृषक को अधिक आमदनी प्राप्त हो सके, उस फसल के लिये अनुदान/ सहायता राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाकर कृषकों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। अतः चयनित जिलेवार फसलों के अतिरिक्त अन्य फसल जो क्षेत्र के लिये उपयुक्त हो उसके लिये भी अनुदान/ सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किया जाना उचित होगा।

(ii) फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र की अनिवार्य स्थापना के बाद ही कृषक को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। एक या दो हैक्टेयर क्षेत्र में नये बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र लगाने पर कम क्षेत्र होने से संयंत्र महंगा पड़ता है तथा बगीचा लगाने के प्रारम्भिक वर्षों में कृषक बगीचा क्षेत्र में ही अन्य फसल यथा गेहूं, जौ, बाजरा, सब्जियां आदि फसलों की पैदावार से आय प्राप्त करता है जिससे प्रारम्भिक वर्षों में ड्रिप का उपयोग कृषक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र की अनिवार्य स्थापना के स्थान पर ऐच्छिक स्थापना का प्रावधान योजना में किये जाने से योजना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

(iii) फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमता युक्त उन्नत किस्मों की पौध की व्यवस्था कृषक स्तर से नहीं की जाकर राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अथवा राजहंस नर्सरी के माध्यम से कृषकों को पौध उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार नये बागानों की स्थापना के लिये राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी / राजहंस नर्सरी से पौध लेना कृषक के लिये अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र कार्य के दौरान कृषकों ने अवगत कराया कि इन सोसायटियों से उन्नत किस्म की पौध समय पर उपलब्ध नहीं होती है। अतः सोसायटी में पौध क्रय की अनिवार्यता के स्थान पर ऐच्छिक व्यवस्था होनी चाहिये अर्थात यदि कृषक अन्य माध्यम/ स्थान से पौध क्रय करना चाहे तो उसे अनुदान/ सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान योजना में किया जाना चाहिये।

(iv) नये बागानों की स्थापना से पूर्व कृषकों को आवश्यक तकनीकी/ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। कृषकों को आवश्यक तकनीकी/ प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा नहीं दिया जाकर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। इससे कृषकों को पूर्ण तकनीकी/ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। अतः नये बागानों की स्थापना के इच्छुक कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था के साथ कृषकों को जिन क्षेत्रों में बागानों की स्थापना की गयी है उन क्षेत्रों का दौरा/ भ्रमण करवाकर बागानों की पूर्ण तकनीकी/ प्रशिक्षण दिये जाने से कृषक प्रेरित होकर अधिक रूचि से कार्य कर पायेंगे।

(v) नये स्थापित फल, बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। क्षेत्र कार्य के समय उक्त जानकारी का बोर्ड नहीं पाया गया जिससे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के

अन्तर्गत स्थापित बागानों एवं निजी स्थापित बागानों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः योजना में बोर्ड लगाने के दिशा निर्देशों की पालना की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिये।

(vi) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथा सम्भव समूह में किये जाने का प्रावधान है। मिशन के अन्तर्गत स्थापित बगीचों से उत्पादित फसलों, फलों के विपणन व शीत भण्डारण व्यवस्था का अभाव है। उत्पादित फसलें जल्दी खराब होने के भय से तथा विभागीय विपणन व्यवस्था का अभाव होने से कृषकों को इन फसलों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अतः बागानों से उत्पादित फसलों के लिये शीत भण्डारण व विपणन व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जावे जिससे कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा एवं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

(vii) योजनान्तर्गत स्थापित बाग बगीचों की स्थापना हेतु वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही अनुदान/ सहायता राशि को लाभार्थियों व सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों ने कीमतों में बढ़ोतरी होने से अपर्याप्त बताते हुये अनुदान/ सहायता राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की। अतः लागत राशि को मध्य नजर रखते हुए अनुदान/ सहायता राशि बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

(viii) किसी भी कार्यक्रम/योजना के मूल्यांकन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएं राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत/ नोडल स्तर पर उपलब्ध हो तथा साथ ही उसमें एकरूपता भी हो। इस योजना के मूल्यांकन के दौरान राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संचालित भौतिक तथा वित्तीय सूचनाओं में एकरूपता तथा सामन्जस्य का अभाव पाया गया, जो दर्शाता है कि निदेशालय स्तर पर योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आंकड़ों में संगति तथा एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर पूरे प्रदेश में योजना के संचालन/ प्रगति की जिलेवार सूचना एक ही प्रारूप में संधारित की जावे तथा जिला स्तर की इकाइयों के माध्यम से योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

सारांश :

राजस्थान में उद्यानिकी विकास को ध्यान में रखते हुए फल उद्यान समूहों की स्थापना, सब्जी प्रदर्शन, पौध रोपण सामग्री, कृषक प्रशिक्षण व आधारभूत ढांचे के विकास के उद्धेश्य से उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना योजना एक सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन हेतु पौधशालाओं का विकास, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने बगीचों का जीर्णोद्वार, जल स्त्रोतो का विकास कीट व्याधि प्रबन्धन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जो कृषक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है एवं उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। परन्तु योजना के मूल्यांकन के दौरान योजना क्रियान्वयन की कुछ कठिनाइयां व समस्याएं दृष्टिगोचर हुई है जिसमें से प्रमुखतः राज्य के जिलों में स्वीकृत जिलेवार फसलों के लिए अनुदान/ सहायता उपलब्ध कराना, बगीचों के लिए ड्रिप संयत्र की अनिवार्यता, बगीचों की स्थापना हेतु पौधे की व्यवस्था कृषक स्तर पर न करना, कृषकों को पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जाना, विभागीय विपणन व्यवस्था का अभाव आदि है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित कर योजना को और अधिक प्रभावी, लोकप्रिय एवं सफल बनाया जा सकता है।

.....

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का मूल्यांकन अध्ययन

अध्याय–प्रथम

अध्ययन संरचना

1.0 **परिचयात्मक** :

1.1.1 राजस्थान कृषि की विविधता एवं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हैं। राजस्थान में उद्यानिकी विकास की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर फल, सब्जी, मसाला, फूल व औषधीय फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादकता में सुनियोजित ढंग से वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 1989–90 में पृथक से उद्यान निदेशालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में उद्यानिकी कार्यालय संचालित है। वर्ष 1990–91 से राज्य योजना व केन्द्रीय सहायता के माध्यम से योजनायें प्रारम्भ की गई। वर्ष 1992–93 से विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत नये फल उद्यान समूहों की स्थापना, सब्जी प्रदर्शन, पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, उद्यान कृषक प्रशिक्षण व आधारभूत ढांचे के विकास हेतु विशेष सहायता का प्रावधान कर योजना की क्रियान्विति की गई।

1.1.2 वर्तमान कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें, फल, सब्जी, मसाला, फूल वाली फसलें, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे आदि को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना प्रारम्भ की गयी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन हेतु पौधशालाओं का विकास, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों का विकास, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं मूल्य संवर्धन तथा बाजार सुदृढ़ीकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फसलों से सम्बद्ध प्रमुख क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे है।

1.2.0 **नये उद्यानों की स्थापना :**

1.2.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार जिलेवार चयनित फसलों (परिशिष्ट–अ) की उन्नत किस्मों से नये क्षेत्रों में उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्ड के अनुसार अनुदान/ सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलें जैसे फल, फूल, मसाले तथा सुगंधित पौधों व नये फल बगीचों की स्थापना हेतु अनुदान/सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

1.2.2 **देय अनुदान :**

प्रत्येक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर तक सहायता/ अनुदान प्राप्त कर सकता है। अनुदान/ सहायता राशि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में क्रमशः 60:20:20 के अनुपात से तीन किश्तों में (विभक्त करके) उन्नत पौध रोपण सामग्री व समन्वित पोषक तत्व/ कीट व्याधि प्रबन्ध इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अनुदान/ सहायता राशि फल बगीचों में क्रमशः 75 प्रतिशत व 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर आधारित होती हैं।

1.2.3 **अनुदान की गणना :**

वर्ष 2012–13 व 2013–14 में नये क्षेत्र में उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्डानुसार अनुदान /सहायता का प्रावधान निम्नानुसार है :–

अ सामान्य पौध रोपण हेतु :

1 नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान सहायता का भुगतान फल वृक्षवार इकाई लागत को आधार मानते हुए लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम, 30,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर की सीमा में तीन किश्तों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में रेखांकित चैक/ड्राफ्ट या जहां इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर या मनी ट्रान्सफर सुविधा हो वहां सीधे किसान के खाते में भेजकर सम्बन्धित कृषक को इस आशय की सूचना भिजवाये जाने का प्रावधान है।

2 कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयत्र की अनिवार्य स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

3 सहायता अनुदान का भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है। प्रथम वर्ष में कृषकों से पौधों की कीमत की 25 प्रतिशत राशि लेकर पौधे उपलब्ध करायें जाते हैं। पौधे लगाने के 15 दिन पश्चात् 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कुल अनुदान राशि की 60 प्रतिशत अनुदान राशि में से पौधे की कीमत की 75 प्रतिशत राशि काटकर पौधे आपूर्ति कर्ता संस्था को उपलब्ध कराने के पश्चात् शेष अनुदान राशि पौषण तत्व/ कीट व्याधि प्रबंधन हेतु कृषको को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर फल वृक्षवार कुल अनुदान राशि की 20 प्रतिशत राशि द्वितीय किश्त के रूप में तथा तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर फलवृक्षवार कुल अनुदान राशि की 20 प्रतिशत राशि तृतीय किश्त के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

ब हाई डेनसिटी प्लानिंग :

1 नये फल बगीचों की सघन बागवानी स्थापना पर अनुदान का भुगतान फलवृक्षवार (आम, अमरूद व अनार) इकाई की लागत को आधार मानते हुए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रूपये की सीमा में तीन किश्तों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में सीधे किसान के खाते में भेजकर सम्बन्धित कृषक को इस आशय की सूचना से अवगत कराया जाता है।

2 सघन फल बगीचों की स्थापना के लिए ड्रिप संयत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से कृषकों को करनी होती है।

3 अनुदान का भुगतान तीन वर्षों में तीन किश्तों में किये जाने का प्रावधान है। प्रथम वर्ष में कृषकों से पौधे की कीमत की 50 प्रतिशत राशि लेकर पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। पौधे लगाने के 15 दिन पश्चात् 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कुल सहायता राशि की 60 प्रतिशत राशि में से पौधे की कीमत की शेष 50 प्रतिशत राशि आपूर्ति कर्ता संस्था को उपलब्ध कराने के पश्चात् शेष अनुदान राशि कृषक को प्रथम किश्त के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट से उपलब्ध करायी जाती है। द्वितीय किश्त 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर सहायता राशि में से 20 प्रतिशत व तृतीय किश्त 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर कुल सहायता राशि में से 20 प्रतिशत शेष अनुदान राशि पोषक तत्व/कीट सम्बन्धी व्याधि प्रबन्धन हेतु कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट या EMT इलेक्ट्रानिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

स नॉन पैरिनियल फल :

पपीता आदि में नये फल बगीचों की स्थापना पर निर्धारित की गयी सांकेतिक लागत की 75 प्रतिशत(अधिकतम 30,000 रूपये प्रति हैक्टेयर) अनुदान राशि देय होती है। अनुदान राशि का भुगतान 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में क्रमशः प्रथम व द्वितीय वर्ष में विभक्त करके किया जाता है। दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर अनुदान देय है। अनुदान के लिये ड्रिप संयत्र लगाने की अनिवार्यता है। अनुदान हेतु अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी कृषक 4 हैक्टेयर है। अनुदान राशि ड्रिप संयत्र की स्थापना के पश्चात् ही कृषकों को देय होती है।

1.2.4 वर्ष 2014–15 में नये क्षेत्र के उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्ड के अनुसार अनुदान/ सहायता उपलब्ध कराये जाने का विवरण निम्नानुसार है :

सहायता प्रावधान

क्र. सं	कम्पोनेन्ट		सहायता प्रावधान
1	अधिक मूल्य वाली फसलें यथा पपीता	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 80,000/– प्रति हैक्टेयर । एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल ड्रिप सिंचाई विधि एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हैक्टेयर। एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
2	सघन बागवानी फलोद्यान की स्थापना फसलें आम, अमरूद व अनार	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 60,000/– प्रति हैक्टेयर। एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिंचाई विधि एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हैक्टेयर। एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।

क्र. सं	कम्पोनेन्ट		सहायता प्रावधान
3	सामान्य अन्तराल वाली फसलें आंवला, बेर, संतरा, मौसमी, नीबू, अमरूद, आम व अनार	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हैक्टेयर। एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिंचाई विधि एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हैक्टेयर। एक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
उक्त समस्त सहायता अनुसूचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।			

1.3.0 **अनुदान प्रक्रिया :**

1 नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान / सहायता का भुगतान फलवृक्षवार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान/ सहायता राशि रेखांकित चैक/ ड्राफ्ट या जहां इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर या मनी ट्रान्सफर सुविधा हो वहां सीधे किसान के खाते में भेजकर सम्बन्धित कृषकों को इस आशय की सूचना से सूचित किये जाने का प्रावधान है।

2 कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार बगीचों हेतु ड्रिप संयत्र स्थापित करना अनिवार्य है। ड्रिप संयत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाते है। जिन कार्यक्रमों में बिना ड्रिप संयत्र के फल बगीचों की स्थापना की जानी है उन बगीचों में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के माध्यम से ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाया जाना सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है।

3 प्रथम वर्ष में कृषकों को क्षेत्र के अनुसार आवश्यक पौधों से 10 प्रतिशत पौधे अधिक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

4 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में गेप फिलिंग हेतु पौधे उपलब्ध करवाये जाकर फल बगीचों में पौधों की पूर्ण संख्या सुनिश्चित की जाती है।

5 प्रति कृषक न्यूनतम 0.4 एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये अनुदान देय है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम सीमा 0.2 हैक्टेयर निर्धारित है।

6 कृषक को जिले के लिये चयनित फसल के लिये ही अनुदान देय होता है। जिलेवार चयनित फसलों का विवरण परिशिष्ट–अ पर है।

7 फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त उन्नत किस्मों की पौध रोपण सामग्री कृषक को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

8 बहुवर्षीय फलदार पौधों में नीबूं के अतिरिक्त अन्य फलों के बगीचों की स्थापना में बीज से तैयार पौधे रोपण सामग्री का उपयोग नहीं किये जाने का प्रावधान है।

9 नये फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रति इकाई निर्धारित पौधों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110 प्रतिशत) परिवहन एवं रोपण के समय पौध की मृत्यु के पेटे दिये जाते हैं।

10 फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खोदे जाने आवश्यक होते हैं।

11 नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य है।

12 कृषकों को पौधे एवं गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान का उपयोग कृषक के द्वारा किया जावेगा। इस बाबत कृषक से एक शपथ–पत्र लिया जाता है। अनुदान राशि का भुगतान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा कृषकों को किया जाता है।

13 जो कृषक स्वयं के स्तर से आदान उपयोग में लेने से सहमत नहीं होते हैं उन कृषकों को गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान (उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि) निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी के द्वारा जारी परमिट से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता हैं। यह अनुदान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के पश्चात् ही उपलब्ध करवाया जाता हैं।

14 बिना ड्रिप संयंत्र की स्थापना के किसी भी कृषक को पौधों अथवा आदानों पर अनुदान नहीं दिया जाने का प्रावधान है।

15 कृषकों द्वारा फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदान आवेदन–पत्र के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप संयत्र के अनुदान के लिये भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं।

16 द्वितीय व तृतीय वर्ष की किश्त के लिये पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन यथासम्भव मई व जून माह में किये जाने का प्रावधान है।

17 द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुदान राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना के अन्तर्गत स्थापित बगीचे में द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित हो, इसके लिये कृषकवार पौध रोपण की जीवितता का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन करवाया जाकर पौध रोपण सुनिश्चित करना होता है।

18 हाई डेनसिटी प्लानटिंग में पौध रोपण के साथ केनोपी मैनेजमेन्ट पर ध्यान देने हेतु कृषक को आवश्यक तकनीक/ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

19 सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर सम्बन्धित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान/ सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

20 नये फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषक के स्तर से उपयोग में लिया गया आदान गोबर की खाद (Farm Yard Manure) कृषक की हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होता है। गोबर की खाद की दर एक रुपये प्रति किलोग्राम / वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर करने का प्रावधान है।

21 नये स्थापित फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

22 फल बगीचों की स्थापना हेतु आवश्यक पौधों की व्यवस्था कृषक के स्तर से नहीं की जाकर राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अथवा राजहंस के माध्यम से कृषकों को पौधे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

23 यदि कोई कृषक किसी राजकीय उपक्रम/ कृषि विश्वविद्यालय/ कृषि महाविद्यालय / अर्द्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाएं/ अनुसंधान केन्द्र/ फार्म अथवा अन्य कोई भी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

1.4.0 कृषक चयन की आवश्यक शर्तें :

1 कृषकों का चयन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।

2 फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किये जाने का प्रावधान है।

3 कृषकों के चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लेने एवं सम्भव हो सके तो महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किये जाने का प्रावधान है।

4 चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।

5 कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई विधि अपनाने के लिये सहमत हो।

6 आधुनिक हाईटेक बागवानी अपनाने के इच्छुक कृषक को चयन में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

1.5.0 योजना की भौतिक प्रगति :

1.5.1 वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :

वर्षवार भौतिक प्रगति

(हैक्टेयर)

क्र.सं	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2012-13	7300	5428.61
2	2013-14	7300	6629.33
3	2014-15	10903	9237.80
योग		**25503**	**21295.74**

1.5.2 वित्तीय प्रगति :

वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक योजना की वित्तीय प्रगति निम्नानुसर है :

योजना की वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2012-13	1086.15	788.67
2	2013-14	1086.59	815.94
3	2014-15	1436.13	817.68
योग		**3608.87**	**2422.29**

1..6.0 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1..6.1 योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के लिये उपलब्ध करायी गयी अनुदान / सहायता राशि की उपयोगिता एवं इसका लाभार्थी कृषकों पर पड़े प्रभावों का आंकलन करने के उद्वेश्य से प्रमुख शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

1..7.0 मूल्यांकन के उद्धेश्य :

1..7.1 मूल्यांकन कार्य निम्नलिखित उद्धेश्यों को मध्यनजर रखते हुये किया गया :

1 योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।

2 योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता का आंकलन करना !

3 योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सहायता/ अनुदान की उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयोगिता का आंकलन करना।

4 योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना से बागवानी फसले जैसे फल, फूल, मसाले के उत्पादन पर पड़े प्रभावों का आंकलन करना।

5 योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों के जीवनस्तर पर पड़े प्रभावों का आंकलन करना।

6 योजना संचालन में विभिन्न स्तरों पर अनुभूत कठिनाइयां ज्ञात कर प्रभावी संचालन हेतु सुझाव देना।

1.8.0 **न्यादर्श परिकल्पना :**

1.8.1 नये उद्यानों की स्थापना का कार्य राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वित है। उद्यान विभाग से नये उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक की जिलेवार प्राप्त सूचनाओं एवं विभाग के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना का मूल्यांकन कार्य बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति से निम्नानुसार किया गया :–

1.8.2 प्रथम स्तर पर वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना/ लाभान्वितों की भौतिक प्रगति (परिशिष्ट–ब) को सम्भागवार संकलित कर नये उद्यानों की स्थापना से सम्बन्धित अधिकतम हैक्टेयर वाले दो सम्भाग क्रमशः अजमेर एवं कोटा का चयन किया।

1.8.3 द्वितीय स्तर पर चयनित सम्भाग में से साधारण न्यादर्श पद्धति से योजनान्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना से सम्बन्धित अधिकतम हैक्टेयर वाले एक–एक जिले भीलवाड़ा एवं झालावाड़ का चयन किया।

1.8.4 तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से अधिकतम हैक्टेयर वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया। इस प्रकार दो चयनित जिलों से 4 पंचायत समितियों का चयन किया।

1.8.5 चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से संदर्भित वर्षों के लाभान्वितों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 15–15 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक जिले से 30–30 लाभार्थियों का चयन करते हुये कुल 60 लाभार्थियों का चयन किया।

1.9.0 **अध्ययन उपकरण :**

1.9.1 मूल्यांकन के क्षेत्र कार्य हेतु निम्नांकित अनुसूचियों का प्रयोग किया :

1 **राज्य प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में राज्य स्तर से योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति समंक एवं योजना संचालन सम्बन्धी जानकारी एकत्र की गयी।

2 **जिला प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में जिला स्तर पर योजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र की गयी।

3 **कृषक लाभार्थी अनुसूची :**

यह अनुसूची योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले (कृषक) लाभान्वितों से भरी गयी। अनुसूची में कृषक को उपलब्ध करवायी गयी अनुदान/ सहायता राशि के साथ–साथ कृषक की उद्यान स्थापना से पूर्व की पारिवारिक व सामाजिक स्थिति तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी संकलित की गयी।

4 **सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची :**

यह अनुसूची योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित चयनित जिला, पंचायत समिति के अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भरी गयी।

5 **अवलोकन टिप्पण :**

अध्ययन का क्षेत्र कार्य सम्पादित करने वाले अधिकारी/ अनुसंधानकर्ता द्वारा मूल्यांकन उद्धेश्यों को ध्यान में रखते हुए अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया गया।

6 **सन्दर्भ अवधि :**

अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनायें वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक की अवधि की तथा अन्य सूचनायें सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

.....

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 उद्यानिकी फसलें–फल,सब्जी,मसाला,फूलवाली फसलें, औषधीय पौधों को बढ़ावा दिये जाने के उद्धेश्य से वर्ष 2005–06 में राज्य के 13 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारम्भ किया गया एवं वर्ष 2006–07 में 4 जिले, वर्ष 2007–08 में 6 जिले तथा वर्ष 2008–09 में एक जिले को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत समावेशित किया गया। इस प्रकार राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के शेष जिले यथा सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, राजसमन्द, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़ एवं भरतपुर जिले में मिशन के समरूप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् उद्यानिकी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्ष 2007–08 से किया जा रहा है। राज्य में बागवानी विकास योजनाओं के तहत् आधुनिक फसल उत्पादन तकनीकी, ग्रीन हाऊस व शेडनेट हाऊस स्थापना को बढ़ावा दिया जाकर परम्परागत खेती की तुलना में संरक्षित खेती तकनीकी से इकाई क्षेत्र के कृषकों की आमदनी बढ़ाने के कार्य करवाये जाते हैं। अध्ययन की सन्दर्भित अवधि (2012–13 से 2014–15) की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये स्थापित बागानों की राज्य स्तरीय एवं चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।

2.2.0 योजना की राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

2.2.1 **योजना की भौतिक प्रगति** वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक 25503 हैक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 21295.74(83 प्रतिशत) हैक्टेयर उद्यानों की स्थापना की गयी। जिसमें से कोटा सम्भाग में 11225 हैक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 12928.71 हैक्टेयर (115 प्रतिशत) लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी। मरूस्थलीय क्षेत्र बीकानेर में मात्र 36 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी। सम्भागवार एवं वर्षवार लक्ष्य व अर्जित उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

सम्भागवार एवं वर्षवार लक्ष्य व उपलब्धियां

(हैक्टेयर)

क्र.सं	सम्भाग का नाम	नये उद्यानों की स्थापना							
		2012–13		2013–14		2014–15		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	जयपुर	855	623.12	1085	606.81	852	296	2792	1525.93 (55 %)
2	जोधपुर	835	545.40	780	614.46	1060	450.40	2675	1610.26 (60 %)
3	अजमेर	1070	919.68	1115	932.95	1092	438.76	3277	2291.39 (70 %)
4	कोटा	2325	2090.01	2660	3512.66	6240	7326.04	11225	12928.71 (115 %)
5	उदयपुर	835	695.50	760	517.04	818	510	2413	1722.54 (71 %)
6	बीकानेर	880	328.20	550	297	500	78	1930	703.20 (36 %)
7	भरतपुर	500	226.70	350	148.41	341	138.60	1191	513.71 (43 %)
	योग	**7300**	**5428.61 (74 %)**	**7300**	**6629.33 (91 %)**	**10903**	**9237.80 (85 %)**	**25503**	**21295.74 (83 %)**

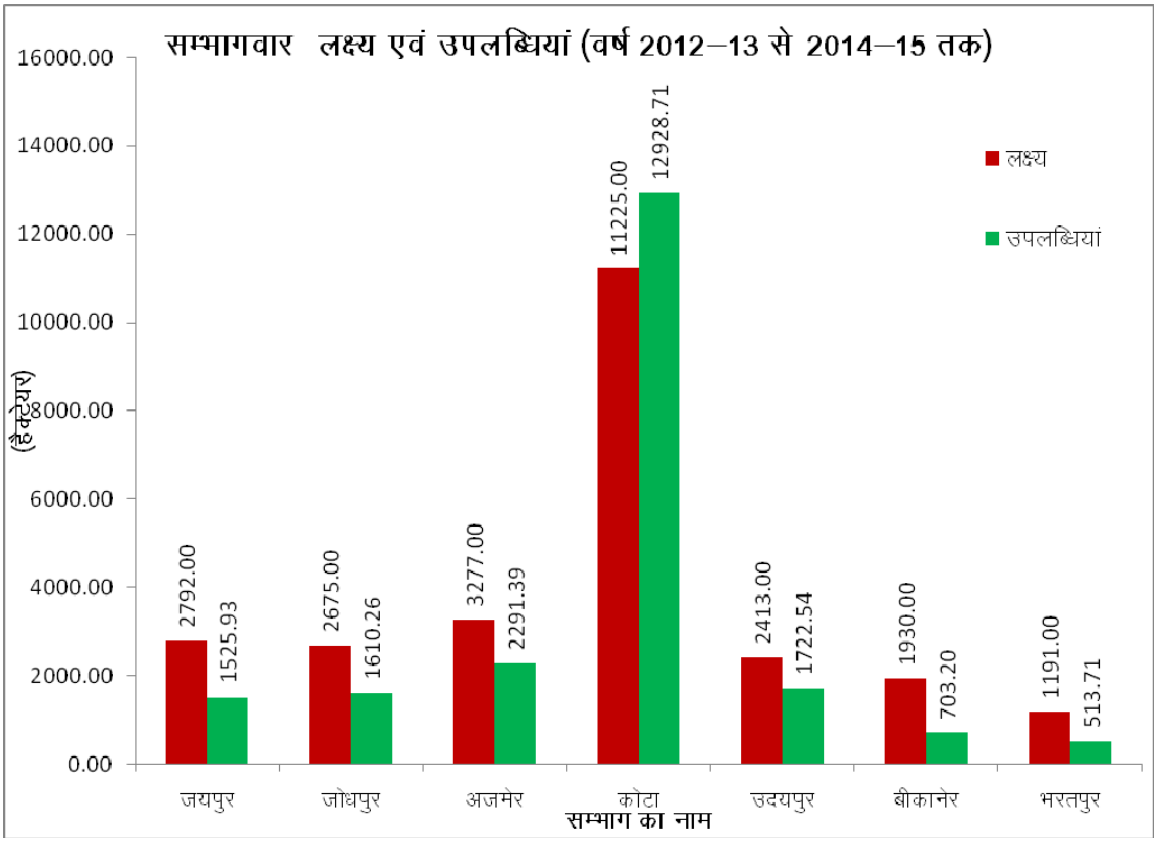

2.2.2 वर्षवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2012–13 में 7300 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध 5428.61(74 प्रतिशत) हैक्टेयर की उपलब्धि अर्जित की गई, इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में 7300 हैक्टेयर के विरूद्ध 6629.33(91 प्रतिशत) हैक्टेयर एवं वर्ष 2014–15 में 10903 हैक्टेयर के विरूद्ध 9237.80(85 प्रतिशत) हैक्टेयर उपलब्धि प्राप्त की गई।

2.2.3 सम्भागवार विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि कोटा सम्भाग में 11225 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 12928.71(115 प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र में बागानों की स्थापना की गयी। उदयपुर सम्भाग में 2413 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1722.54(71 प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र में, अजमेर सम्भाग में 3277 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 2291.39(70 प्रतिशत) हैक्टेयर में, जोधपुर सम्भाग में 2675 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1610.26(60 प्रतिशत) हैक्टेयर में, जयपुर सम्भाग में 2792 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1525.93(55 प्रतिशत) हैक्टेयर में, भरतपुर सम्भाग में 1191 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 513.71(43 प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र में तथा बीकानेर सम्भाग में 1930 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 703.20(36 प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र में बागानों की स्थापना की गयी। तालिका के विश्लेषण करने पर संदर्भित अवधि में वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 की अर्जित उपलब्धियों में बढ़ोतरी हुई है वहीं वर्ष 2014–15 में अर्जित उपलब्धि कम है।

2.2.4 योजना की जिलेवार भौतिक प्रगति का अवलोकन **परिशिष्ट'ब'** पर करने से स्पष्ट होता है कि सन्दर्भित अवधि में सबसे अधिक लक्ष्यों की उपलब्धि झालावाड़ जिले में तथा न्यूनतम उपलब्धि करौली जिले की रही। झालावाड़ जिले में 124 प्रतिशत व बांसवाड़ा जिले में 116 प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति सन्दर्भित अवधि में योजनान्तर्गत की गयी। बागवानी मिशन में समावेशित 24 जिलों में से 9(37 प्रतिशत) जिलों में लक्ष्यों की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम रही व शेष 15(63 प्रतिशत) जिलों में लक्ष्यों की उपलब्धि 50 प्रतिशत से अधिक रही।

2.2.5 **वित्तीय प्रगति :**

2.2.6 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक (तीन वर्षों में) 3608.87 लाख रूपये के विपरीत 2422.29(67.00 प्रतिशत) लाख रूपये नये बागानों की स्थापना पर व्यय किये गये, जिसका वर्षवार एवं सम्भागवार विवरण निम्नानुसार है :

वर्षवार आवंटित व व्यय राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं	सम्भाग का नाम	नये उद्यानों की स्थापना							
		2012–13		2013–14		2014–15		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	जयपुर	149.25	89.12	185.58	80.24	130.41	23.51	465.24	192.87 (41 %)
2	जोधपुर	107.64	71.54	101.91	84.12	151.90	54.99	361.45	210.65 (58 %)
3	अजमेर	155.73	144.36	174.77	125.73	165.13	50.68	495.63	320.77 (65 %)
4	कोटा	354.68	314.85	403.91	393.10	770.28	635.46	1528.87	1343.41 (88 %)
5	उदयपुर	110.38	91.29	96.32	68.86	105.85	29.85	312.55	190.00 (61 %)
6	बीकानेर	141.62	52.90	80.10	48.10	66.33	4.80	288.05	105.80 (37 %)
7	भरतपुर	66.85	24.61	44.00	15.79	46.23	18.39	157.08	58.79 (37 %)
	योग	**1086.15**	**788.67 (73 %)**	**1086.59**	**815.94 (75 %)**	**1436.13**	**817.68 (57 %)**	**3608.87**	**2422.29 (67 %)**

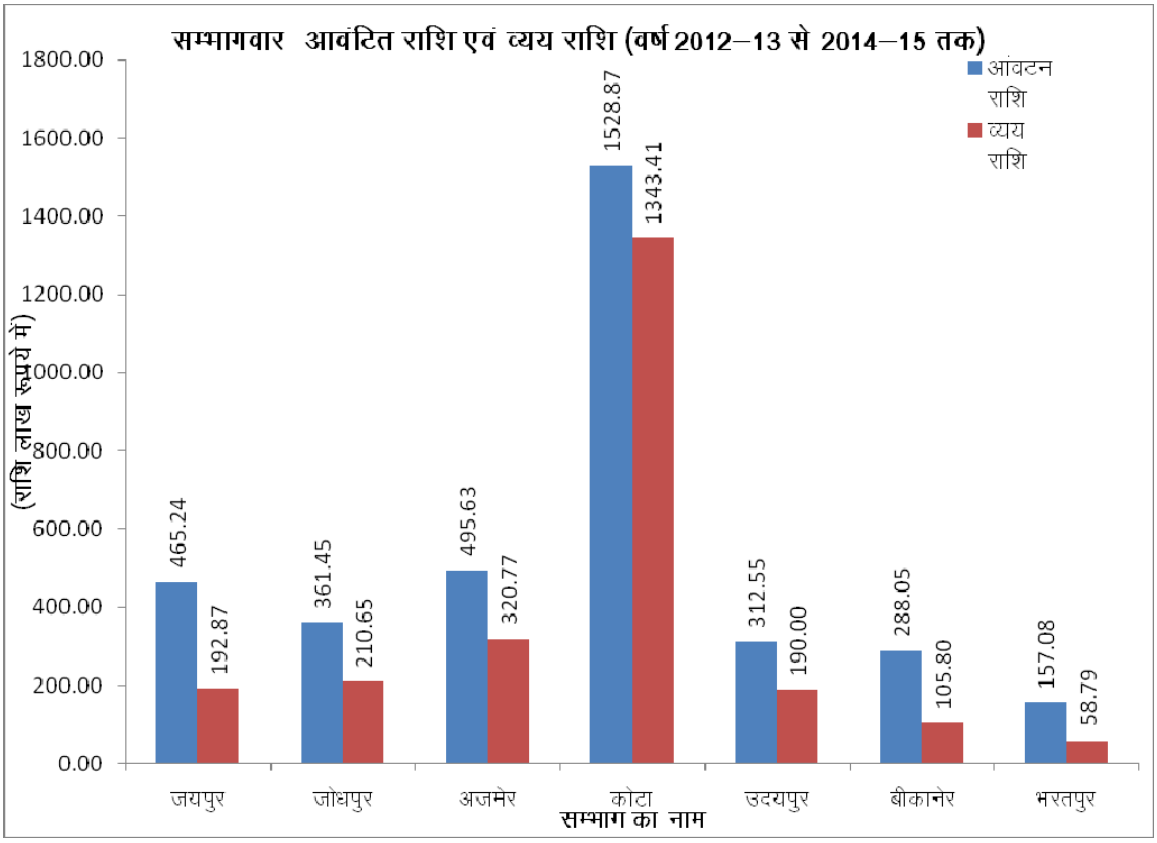

2.2.7 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत सन्दर्भित अवधि में आवंटित राशि में से कोटा सम्भाग में 88 प्रतिशत, अजमेर सम्भाग में 65 प्रतिशत, उदयपुर सम्भाग में 61 प्रतिशत तथा बीकानेर व भरतपुर सम्भाग में मात्र 37 प्रतिशत आवंटित राशि का व्यय किया गया। इस प्रकार राज्य के 4 (57 प्रतिशत) सम्भागों में आवंटित राशि का 50 प्रतिशत से अधिक तथा 3 (43 प्रतिशत) सम्भागों में 50 प्रतिशत से कम राशि सन्दर्भित अवधि में व्यय की गयी।

2.2.8 सन्दर्भित अवधि में (2012–13 से 2014–15 तक) राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित की गयी। मिशन के अन्तर्गत आवंटित एवं व्यय राशि का (जिलेवार विवरण **परिशिष्ट 'स'**) पर अंकित है। जिलेवार विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 24 जिलों में से 9(37 प्रतिशत) जिलों में आवंटित राशि 50 प्रतिशत से कम व्यय की गयी। शेष 15(63 प्रतिशत) जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की गयी। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक 97 प्रतिशत आवंटित राशि व्यय की गयी एवं सबसे कम राशि जैसलमेर जिले में मात्र 19 प्रतिशत ही व्यय की गयी।

2.3.0 चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

2.3.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना झालावाड़ जिले में वर्ष 2005–06 में तथा भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2007–2008 में प्रारम्भ की गयी। मूल्यांकन कार्य के लिये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत संचालित नये उद्यानों से सम्बन्धित झालावाड़ व भीलवाड़ा जिले का चयन मूल्यांकन कार्य हेतु कर जिला स्तरीय सूचनायें उद्यान विभाग के जिला कार्यालयों से संकलित की गयी। संकलित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण निम्नानुसार रहा :

2.3.2 चयनित जिलों की भौतिक प्रगति वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक झालावाड़ जिले में 11584 हैक्टेयर तथा भीलवाड़ा जिले में 796 हैक्टेयर में नये उद्यानों की स्थापना की गयी। स्थापित उद्यानों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

वर्षवार स्थापित नये उद्यानों की भौतिक प्रगति

(हैक्टेयर में)

क्र.सं	वर्ष	जिला				योग	
		झालावाड़		भीलवाड़ा			
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2012-13	1750	1604 92%	250	301.63 121%	2000	1905.63 95 %
2	2013-14	2700	3180 118%	400	355.28 89%	3100	3535.28 114%
3	2014-15	5350	6800 127%	340	139.09 41%	5690	6939.09 122%
योग		**9800**	**11584 118%**	**990**	**796 80%**	**10790**	**12380 115%**

नोट– निर्धारित लक्ष्यों की सूचना जिला कार्यालय भीलवाड़ा से प्राप्त नहीं होने से निदेशालय उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

2.3.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सन्दर्भित अवधि में झालावाड़ जिले में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि 118 प्रतिशत तथा भीलवाड़ा जिले में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत अर्जित की गयी। झालावाड़ जिले में लक्ष्यों एवं आवंटन/ अर्जित उपलब्धियों में उत्तरोतर वृद्धि हुई जबकि भीलवाड़ा जिले में लक्ष्य/ आवंटन एवं अर्जित उपलब्धियों में उत्तरोतर कमी हुई। अतः झालावाड़ जिले की तरह ही भीलवाड़ा जिले के साथ अन्य जिलों की लक्ष्य आवंटन एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रयास किये जाये तो अधिक क्षेत्र में नये बागानों की स्थापना सें कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

2.3.4 चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति में वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक 1500.73 लाख रूपये की आवंटित राशि में से 1403.58(94 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये। झालावाड़ जिले में सन्दर्भित अवधि में आवंटित राशि व व्यय की गयी राशि में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2012–13 व 2013–14 में आवंटित राशि व व्यय राशि में उत्तरोतर वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2014–15 में उक्त दो वर्षों की तुलना में आवंटन व व्यय राशि में कमी आयी है, समग्र रूप से विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि दोनों जिलों में आवंटित राशि से अधिक व्यय आलौच्य अवधि में किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्षवार आवंटित व व्यय राशि का विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	**वर्ष**	**जिला**				**योग**	
		झालावाड़		भीलवाड़ा			
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2012-13	278.30	256.73 92%	39.89	51.13 128%	318.19	307.86 97 %
2	2013-14	429.38	381.15 89%	65.84	36.50 55%	495.22	417.65 84%
3	2014-15	642.13	603.91 94%	45.19	18.77 42%	687.32	622.68 91%
योग		**1349.81**	**1241.79 92%**	**150.92**	**161.79 107%**	**1500.73**	**1403.58 94%**

2.3.5 वर्ष 2012–13 में आवंटित राशि का 97 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 84 प्रतिशत एवं वर्ष 2014–15 में आवंटित राशि में से 91 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। इस प्रकार वर्षवार विश्लेषण में आवंटित राशि में से व्यय में कमी परिलक्षित होती है। अतः आवंटित राशि के अनुसार प्रति वर्ष राशि व्यय करने हेतु विभाग को कार्य योजना बनाकर कार्य करने की योजना को अमल में लाया जाना उचित होगा।

2.3.6 विभाग द्वारा राज्य प्रलेख समंको एवं चयनित जिलों द्वारा उपलब्ध करवाये गये समंको में अंतर पाया गया है। अतः विभाग में भौतिक एवं वित्तीय समंको की विसंगति को दूर करना आवश्यंक है। जिससे राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समंको में एकरूपता आ सके।

2.4.0 चयनित जिला झालावाड़ व भीलवाड़ा में वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक 9677 कृषकों ने नये बागानों की स्थापना के लिये आवेदन किया जिसमें से 9514(98 प्रतिशत) आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 163(2 प्रतिशत) आवेदन पत्र क्षेत्र का सिंचित नहीं होना या सिंचाई स्त्रोत व अन्य संसाधन आवेदन कर्ता के पास कम मात्रा में/ कम भूस्वामित्व होने से अस्वीकृत किये गये। वर्षवार प्राप्त आवेदन पत्र व लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्षवार प्राप्त आवेदन पत्र एवं लाभान्वित कृषकों का विवरण

क्र. सं	वर्ष	जिला						योग		
		झालावाड़			भीलवाड़ा					
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2012-13	1311	1264 (96%)	47 4%	208	208 100%	-	1519	1472 97%	47 3%
2	2013-14	2415	2360 98%	55 2%	245	245 100%	-	2660	2605 98%	55 2%
3	2014-15	5399	5338 99%	61 1%	99	99 100%	-	5498	5437 99%	61 1%
योग		**9125**	**8962 98%**	**163 2%**	**552**	**552 100%**	**-**	**9677**	**9514 98%**	**163 2%**

2.4.1 तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि झालावाड़ जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जारी स्वीकृति में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। झालावाड़ जिले की तुलना में भीलवाड़ा जिले में आवेदन पत्र कम संख्या में प्राप्त हुए तथा शत प्रतिशत आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये। वर्षवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि झालावाड़ जिले में वर्ष 2012–13 में 96 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 98 प्रतिशत एवं वर्ष 2014–15 में 99 प्रतिशत आवेदन पत्र स्वीकृत कर कृषकों को लाभान्वित किया गया। भीलवाड़ा जिले में कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने से आलौच्य अवधि में शत प्रतिशत आवेदन स्वीकृत कर कृषकों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि भीलवाड़ा जिले में, झालावाड़ जिले की तुलना में योजना की जानकारी के प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है। अतः विभाग को जिला स्तर पर योजना के प्रचार–प्रसार के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

.....

अध्याय–तृतीय

अध्ययन निष्कर्ष

3.1.0 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों के लिये उपलब्ध करायी गयी सहायता/ अनुदान राशि से बागवानी फसलें, फल, फूल,मसाले तथा सुगन्धित/ औषधीय पौधों की उत्पादकता में सुनियोजित ढंग से वृद्धि कर कृषकों की आय में बढ़ोतरी के प्रयास उद्यान विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। मिशन के अन्तर्गत नये क्षेत्र के स्थापित उद्यानों में गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन के लिये पौधशालाओं का विकास, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में विस्तार के साथ–साथ पुराने बाग/ बगीचों का जार्णोद्धार, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं मूल्य संवर्धन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाकर कृषकों की आय में निरन्तर बढ़ोतरी के कार्य किये जाते हैं।

3.1.1 राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक स्थापित नये क्षेत्र के उद्यानों की उपयोगिता एवं लाभार्थी कृषकों पर पड़े प्रभाव का आंकलन झालावाड़ व भीलवाड़ा जिले से चयनित 60 कृषकों एवं योजना से प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 11 सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क/साक्षात्कार से प्राप्त विचार/सूचनाओं का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन के लिए निम्न अनुसूचियों में सूचनाएं संकलित की गयी :–

जिलेवार भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

क्र. सं	चयनित जिला	राज्य प्रलेख अनुसूची	जिला प्रलेख अनुसूची	सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची	लाभार्थी कृषक अनुसूची	अवलोकन
1	झालावाड़	1	1	6	30	1
2	भीलवाड़ा		1	5	30	1
	योग	**1**	**2**	**11**	**60**	**2**

3.1.2 राज्य प्रलेख अनुसूची उद्यान निदेशालय से एवं जिला प्रलेख अनुसूची की सूचनायें सहायक निदेशक, उद्यान झालावाड़ व भीलवाड़ा कार्यालय से संकलित की गयी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित नये क्षेत्र के उद्यानों की उपयोगिता एवं लाभार्थी कृषकों पर पड़े प्रभाव की सूचनायें सम्बन्धित जिला अधिकारी,उद्यान, स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तियों/ जनप्रतिनिधियों तथा चयनित लाभार्थी कृषकों से साक्षात्कार कर संकलित की गयी है। प्रस्तुत अध्याय के निष्कर्ष, क्षेत्र कार्य से प्राप्त समंक, विचार–विमर्श एवं क्षेत्र कार्यकर्ताओं द्वारा अवलोकित तथ्यों पर आधारित है जिनका मदवार विवेचन इस अध्याय में किया गया है।

3.1.3 झालावाड़ एवं भीलवाड़ा जिले के कृषकों जिन्होने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के लिए उद्यान विभाग से सहायता/ अनुदान का लाभ प्राप्त किया उनमें से रैण्डम विधि से 60 लाभार्थी कृषकों का चयन कर उनसे नये उद्यानों की स्थापना, अनुदान/ सहायता राशि, आर्थिकस्तर, इत्यादि के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर सूचनायें संकलित की गयी। प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

चयनित कृषकों की आयु

क्र.सं	चयनित जिला	चयनित कृषकों की संख्या	कृषकों की आयु का विवरण			
			25 से कम	25–50	50–75	75 से अधिक
1	झालावाड़	30	1	13	15	1
2	भीलवाड़ा	30	0	14	15	1
	योग	**60**	**1**	**27**	**30**	**2**
	प्रतिशत	**100.00**	**2.00**	**45.00**	**50.00**	**3.00**

3.1.4 उक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित लाभार्थी कृषकों की आयु वर्ग में 50 प्रतिशत लाभार्थियों की आयु 50 से 75 वर्ष, 45 प्रतिशत लाभार्थियों की आयु 25 से 50 वर्ष, 3 प्रतिशत लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक तथा 2 प्रतिशत लाभार्थियों की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य पायी गयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के लिये सभी आयु वर्ग के कृषक बागवानी मिशन में शामिल होकर योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा चयनित लाभार्थियों में से 95 प्रतिशत लाभार्थियों की आयु कृषि कार्य करने योग्य है एवं उन्हें कृषि का अनुभव भी प्राप्त है।

3.1.5 योजनान्तर्गत चयनित कृषकों की जातिवार जानकारी प्राप्त करने पर उपलब्ध करवाया गया विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

चयनित कृषकों की जाति का विवरण

क्र.सं	चयनित जिला	चयनित कृषकों की संख्या	चयनित कृषकां की जाति का विवरण				
			सामान्य	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक
1	झालावाड़	30	15	0	1	14	-
2	भीलवाड़ा	30	11	4	0	15	-
	योग	**60**	**26**	**4**	**1**	**29**	**-**
	प्रतिशत	**100.00**	**43.00**	**7.00**	**2.00**	**48.00**	**-**

3.1.6 उक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित लाभार्थियों में 48 प्रतिशत लाभार्थी कृषक अन्य पिछड़ा वर्ग के, 43 प्रतिशत लाभार्थी सामान्य वर्ग के, 7 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के एवं 2 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति के पाये गये।

3.1.7 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के लिये स्वयं की भूमि, सिंचाई का साधन, ड्रिप संयत्र की अनिवार्य स्थापना एवं हाईटेक बागवानी तरीका अपनाने की सहमति देना कृषक के लिये आवश्यक शर्तें होती है। इन शर्तों की जानकारी शतप्रतिशत लाभार्थी कृषकों को होना पाया गया। मिशन की शर्तों के अनुसार शतप्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि नये उद्यानों की स्थापना के लिये उनके पास स्वयं की भूमि तथा ड्रिप संयंत्र लगाने के पश्चात् ही उन्हें सहायता/ अनुदान उपलब्ध करवाया गया। चयनित लाभार्थियों के पास उपलब्ध भूमि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

चयनित कृषकों के पास उपलब्ध भूमि का विवरण

क्र.सं	चयनित जिला	चयनित कृषकों की संख्या	उपलब्ध भूमि का विवरण	
			5 हैक्टेयर	5–10 हैक्टेयर
1	झालावाड़	30	27	3
2	भीलवाड़ा	30	30	0
	योग	**60**	**57**	**3**
	प्रतिशत	**100.00**	**95.00**	**5.00**

3.1.8 उक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित लाभार्थियों में से 95 प्रतिशत लाभार्थियों के पास 5 हैक्टेयर तथा 5 प्रतिशत लाभार्थियों के पास 5 से 10 हैक्टेयर तक स्वयं की भूमि पायी गयी। इस प्रकार नये उद्यानों के लाभार्थियों द्वारा स्वयं की भूमि पर ही उद्यान स्थापित होना पाया गया।

3.2.0 ड्रिप सिंचाई संयत्र की स्थापना के पश्चात् कृषकों द्वारा पौध प्राप्त करने के लिये हिस्सा राशि जमा करवाये जाने का प्रावधान है। झालावाड़ जिले के लाभार्थियों द्वारा राजहंस सोसायटी में तथा भीलवाड़ा जिले के लाभार्थियों द्वारा राजहंस नर्सरी में पौध की प्राप्ति के लिये हिस्सा राशि जमा कराये जाने की जानकारी दी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

कृषक हिस्सा राशि का विवरण

क्र.सं	हिस्सा राशि(रूपयों में)	चयनित लाभार्थियों का प्रतिशत
1	2000 तक	23 प्रतिशत
2	2001 से 4000 तक	33 प्रतिशत
3	4001 से 6000 तक	23 प्रतिशत
4	6001 से 8000 तक	5 प्रतिशत
5	8001 से 10000 तक	7 प्रतिशत
6	10001 से अधिक	9 प्रतिशत

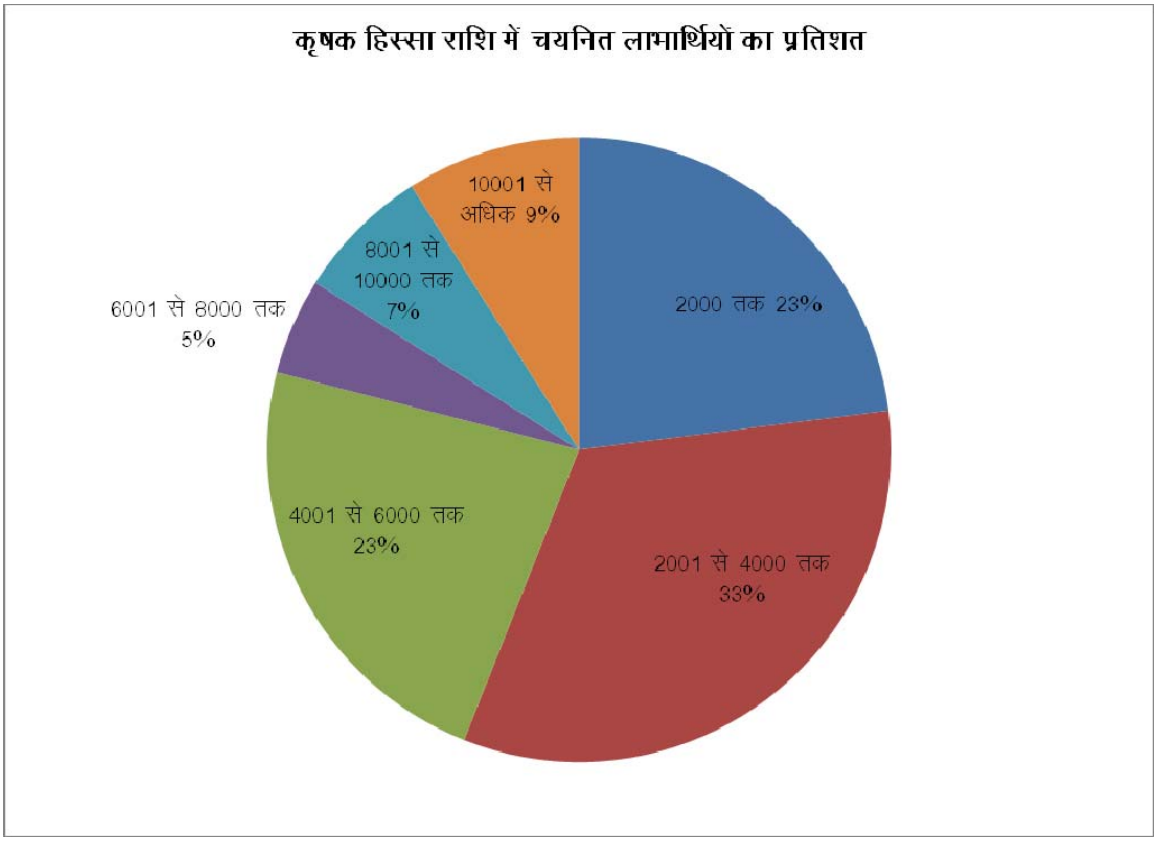

3.2.1 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बागवानी मिशन के अन्तर्गत पौध प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी कृषकों ने पौध की संख्या व लागत के अनुसार कृषक हिस्सा राशि सम्बन्धित सोसायटी/नर्सरी में जमा करवायें। रूपये 2001 से 4000 रूपये तक 33 प्रतिशत लाभार्थियों ने, रूपये 4001 से 6000 रूपये तक 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने, रूपये 1 से 2000 रूपये तक 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने, 10001 रूपये से अधिक 9 प्रतिशत लाभार्थियों ने, 8001 से 10000 रूपये तक 7 प्रतिशत लाभार्थियों ने एवं 6001 से 8000 रूपये तक 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषक हिस्सा राशि के रूप में राशि सम्बन्धित सोसायटी में जमा करवाने की जानकारी दी।

3.2.2 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना के इच्छुक कृषक अधिकतम 4 हैक्टेयर तक अनुदान/सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जिन कृषकों द्वारा आवेदन किया गया उनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

कृषको द्वारा किये गये आवेदन का विवरण

क्र. सं	चयनित जिला	चयनित कृषकों की संख्या	कृषकों द्वारा किये गये आवेदनु का विवरण			
			1 हैक्टेयर	1–2 हैक्टेयर	2–3 हैक्टेयर	3–4 हैक्टेयर
1	झालावाड़	30	13	13	3	1
2	भीलवाड़ा	30	13	11	1	5
	योग	**60**	**26**	**24**	**4**	**6**
	प्रतिशत	**100.00**	**43.00**	**40.00**	**7.00**	**10.00**

3.2.3 उक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित लाभार्थियों में से 43 प्रतिशत लाभार्थियों ने एक हैक्टेयर तक, 40 प्रतिशत लाभार्थियों ने 1–2 हैक्टेयर तक, 10 प्रतिशत लाभार्थियों ने 3–4 हैक्टेयर तक तथा 7 प्रतिशत लाभार्थियों ने 2–3 हैक्टेयर तक के लिये अनुदान/सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। इससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों ने अनुदान/ सहायता हेतु निर्धारित हैक्टेयर सीमा में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रतायें पूर्ण करने वाले कृषकों का ही चयन हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि शतप्रतिशत सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा की गयी।

3.2.4 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त उन्नत किस्मों की पौध राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से कृषकों को उनकी मांग/ आवेदन के अनुसार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। लाभार्थी कृषकों ने कौनसे पौधे के लिये आवेदन किया तथा आवेदन के अनुसार उन्हें पौध प्राप्त हुयी या नहीं के प्रत्युत्तर में 75 प्रतिशत लाभार्थियों ने संतरे, 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने अनार तथा 12 प्रतिशत लाभार्थियों ने अमरूद के बाग लगाने हेतु आवेदन किया। आवेदन पत्र के अनुसार पौध प्राप्त होने की जानकारी के सम्बन्ध में शतप्रतिशत सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों ने अवगत कराया कि कृषकों को उनकी मांग के अनुसार पौध समय पर प्राप्त हो जाती है। झालावाड़ जिले के शतप्रतिशत लाभार्थियों ने संतरे के बगीचे लगाने हेतु राजहंस सोसायटी से तथा भीलवाड़ा जिले के 50 प्रतिशत लाभार्थियों ने संतरे, 27 प्रतिशत लाभार्थियों ने अनार तथा शेष 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने अमरूद का बगीचा लगाने हेतु राजहंस नर्सरी से निर्धारित पौधों की संख्या के अतिरिक्त पौध के नष्ट होने के पेटे 10 प्रतिशत पौधों की पौध प्राप्त होने की जानकारी दी। प्राप्त पौधें की किस्म के बारे में लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त करने पर 75 प्रतिशत लाभार्थियों ने नागपुरी संतरा, 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने सिन्दूरी अनार, शेष 12 प्रतिशत लाभार्थियों ने लखनऊ अमरूद की पौध नये बगीचों की स्थापना हेतु प्राप्त करना स्वीकार किया। इस प्रकार शतप्रतिशत लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में पौध मांग के अनुसार उपलब्ध हुई जो योजना की सफलता का द्योतक है।

3.3.0 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये क्षेत्र में उद्यानों की स्थापना के लिये चयनित फसलों की उन्नत किस्मों की पौध को निश्चित अन्तराल पर तैयार गड्डे में (उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन सहित) रोपित करने पर ही फलोद्यान सफल हो सकता है। फलोद्यान को सफल बनाने के लिये उद्यान विभाग ने फसल/पौधे की प्रकृति के अनुसार अलग–अलग अन्तराल पर प्रति हैक्टेयर लगने वाले पौधों की संख्या निर्धारित की है। लाभार्थी कृषकों द्वारा निर्धारित अन्तराल पर गड्डे तैयार कर प्रति हैक्टेयर पौधे रोपित किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :

रोपित पौध का विवरण

क्र. सं	फसल का नाम	उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड		लाभार्थी कृषक द्वारा रोपित पौध का विवरण	
		पौध रोपण अन्तराल(मीटर में)	पौधों की संख्या प्रतिहैक्टेयर	पौध रोपण अन्तराल(मीटर में)	पौधों की संख्या प्रतिहैक्टेयर
1	संतरा/मौसमी/नीबू	6x6	278	5.5x5.5	305
2	अमरूद	6x6	278	6x6	278
3	अनार	5x5	400	5x5	400

3.3.1 तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अमरूद व अनार के पौधे निश्चित अन्तराल पर निर्धारित संख्या(प्रति हैक्टेयर) में रोपित किये गये। किन्तु संतरे के पौधें निर्धारित अंतराल (6x6 मीटर) पर ना लगाकर 5.50x5.50 मीटर की दूरी पर लगाये गये। इस प्रकार संतरे के पौधे 278 के स्थान पर 305 पौधे प्रति हैक्टेयर की दर से लगाये गये अर्थात 27 पौधे प्रति हैक्टेयर अधिक लगाये गये। क्षेत्र कार्य के दौरान पाया कि झालावाड़ जिले में संतरे के पौधे 5.50x5.50 मीटर की दूरी पर लगाने की जानकारी चयनित लाभार्थियों द्वारा दी गयी तथा इसकी पुष्टि उद्यान विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिकों द्वारा की गयी। इस प्रकार झालावाड़ जिले में संतरे के पौधे निर्धारित अन्तराल से कम अन्तराल पर लगाये गये। चयनित शतप्रतिशत लाभार्थियों ने क्षेत्र कार्य के समय यह भी अवगत कराया कि परिवहन एवं रोपण के समय पौधे के नष्ट होने के पेटे प्राप्त 100 प्रतिशत अतिरिक्त पौध को भी उसी क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर लगाये गये जहाँ पशुओं/ प्राकृतिक कारणों से पौध के नष्ट होने की अधिक सम्भावना होती है।

3.3.2 पौध रोपित करते समय गड्डे में उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन डाल कर गड्डे में मिट्टी इस प्रकार भरी जाती है कि पौधे को आवश्यक उर्वरक एवं पानी उपलब्ध हो सके। गड्डों में पौध रोपित कर उसे भरते समय आदान का उपयोग स्वयं (कृषक) द्वारा किया जावेगा इस आशय का शपथ–पत्र सम्बन्धित कृषक को प्रस्तुत करना होता है, जो कृषक स्वयं के स्तर से आदान उपयोग में लेने से सहमत नहीं होते

हैं उन्हें विभाग द्वारा अनुदानित दर पर सहकारी संस्थाओं से आदान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है। भीलवाड़ा जिले के चयनित शतप्रतिशत लाभार्थी कृषकों ने गड्डा भरते समय आदान की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करने तथा इस आशय का शपथ पत्र देने की जानकारी दी, जबकि झालावाड़ जिले में इसके विपरीत स्थिति पायी गयी। झालावाड़ जिले के शतप्रतिशत चयनित लाभार्थी कृषकों को उद्यान विभाग ने सहकारी समिति से अनुदानित दर पर गड्डा भरते समय आदान उपलब्ध करवाया गया।

3.3.3 मिशन के अन्तर्गत फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र स्थापित करना कृषको के लिये अनिवार्य है। चयनित शतप्रतिशत लाभार्थियों ने नये क्षेत्र के उद्यानों में ड्रिप संयत्र लगाने की जानकारी दी। इससे स्पष्ट होता है कि रोपित पौध के लिये सिंचाई सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

3.3.4 फलदार बागानों में पौध रोपण के लिये कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। शतप्रतिशत चयनित लाभार्थियों द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उद्यान विभाग के (सम्बन्धित क्षेत्र) कृषि पर्यवेक्षक ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया। दिये गये तकनीकी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चयनित लाभार्थियों से विस्तार से चर्चा करने पर उनमें से अधिकांश लाभार्थियों ने दिये गये प्रशिक्षण को अपर्याप्त बताते हुए सुझाव दिया कि इस प्रकार का प्रशिक्षण कृषि पर्यवेक्षक के साथ–साथ विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जावे तो अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

3.4.0 बहुवर्षीय फलदार पौधों में नींबू के अतिरिक्त अन्य फलों के बगीचों की स्थापना में बीज से तैयार पौध रोपण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में चयनित शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उन्होंने नींबू के बगीचे स्थापित नहीं किये है तथा संतरा, अमरूद व अनार के स्थापित बगीचों में राजहंस सोसायटी/नर्सरी से प्राप्त पौध का रोपण ही अपने उद्यानों में किया है।

3.4.1 पौधों की जीवितता का द्वितीय व तृतीय वर्ष में भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही अनुदान/सहायता राशि का भुगतान कृषक को किये जाने का प्रावधान है। पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? के प्रश्न के उत्तर में शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उद्यान विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक द्वारा पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन कार्य माह मई–जून में किया है। इससे स्पष्ट है कि पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन होने के उपरान्त ही अनुदान/सहायता राशि का भुगतान नियमानुसार उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.4.2 पौध रोपण के पश्चात् पौधे की मृत्यु होने से बगीचों में आये गैप को भरने हेतु की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी करने पर चयनित लाभार्थियों में से मात्र 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने स्थापित बगीचों में गैप फिलिंग नहीं की जबकि 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने स्वयं के स्तर से व्यवस्था कर मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने की जानकारी दी। इस प्रकार अधिकांश लाभार्थियों ने स्थापित बगीचों में मृत पौधे के स्थान पर नया पौधा लगाया है।

3.4.3 नये स्थापित बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, क्षेत्रफल फसल व किस्म का नाम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। क्षेत्र कार्य के समय स्थापित फल बगीचों में उक्त आशय का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में चयनित शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उन्होंने बोर्ड लगाया ही नहीं। बागवानी मिशन का बोर्ड लगाने से क्षेत्र के अन्य कृषकों को भी इसकी जानकारी होने से वे भी मिशन के तहत फल बगीचों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित होते हैं तथा बोर्ड लगाने से मिशन के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ प्राप्त सहायता/अनुदान राशि का दुरूपयोग होने की सम्भावना कम होती है। अतः बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित फल–बगीचों पर बोर्ड लगाया जाना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.5.0 सामान्यतया प्रति कृषक अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिए अनुदान देय होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम सीमा 0.2 हैक्टेयर है। जिले के लिये चयनित फसल के लिये ही कृषकों को अनुदान देय होता है। नये फल बगीचों की स्थापना हेतु अनुदान आवेदन पत्र उद्यान विभाग में प्रस्तुत करने पर ही अनुदान देय होता है। शत–प्रतिशत चयनित लाभार्थियों ने अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी दी। नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान/सहायता का भुगतान फल, वृक्षवार इकाई लागत को आधार मानते हुये लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 30,000/– रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से पौध रोपण सामग्री व सम्बन्धित पोषक तत्व/कीट व्याधि प्रबन्धन इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे तीन किश्तों में क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में कृषक को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। चयनित शतप्रतिशत सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों का मत था कि अनुदान राशि का नियमानुसार समय पर भुगतान सम्बन्धित कृषक को किया जा रहा है तथा सम्बन्धित कृषक भी अनुदान राशि का उपयोग नये बागानों की स्थापना के लिये ही कर रहे हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा देय अनुदान या सहायता राशि का उपयोग योजना के उद्धेश्य के अनुसार होना पाया गया।

3.5.1 बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित नये बगीचों के क्षेत्रफल के अनुसार व इकाई लागत को आधार मानते हुये निर्धारित सीमा में अनुदान/सहायता का भुगतान रेखांकित चैक/ड्राफ्ट या जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर या मनी ट्रान्सफर सुविधा हो वहाँ सीधे सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में भेजकर सम्बन्धित कृषक को इस आशय की सूचना दी जाती है। इस प्रकार नये बगीचों की स्थापना के लिये कृषकों को अध्यधीन सीमा में भिन्न–भिन्न राशि अनुदान/सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है :–

नये बगीचों की स्थापना के लिए उपलब्ध करायी अनुदान/सहायता राशि का विवरण

क्र.सं.	राशि(रूपयों में)	लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	1 से 10000 तक	10
2.	10001 से 20000 तक	26
3.	20001 से 30000 तक	17
4.	30001 से 40000 तक	23
5.	40001 से 50000 तक	5
6.	50001 से 60000 तक	5
7.	60001 से 70000 तक	2
8.	70001 से 80000 तक	7
9.	80001 से अधिक	5

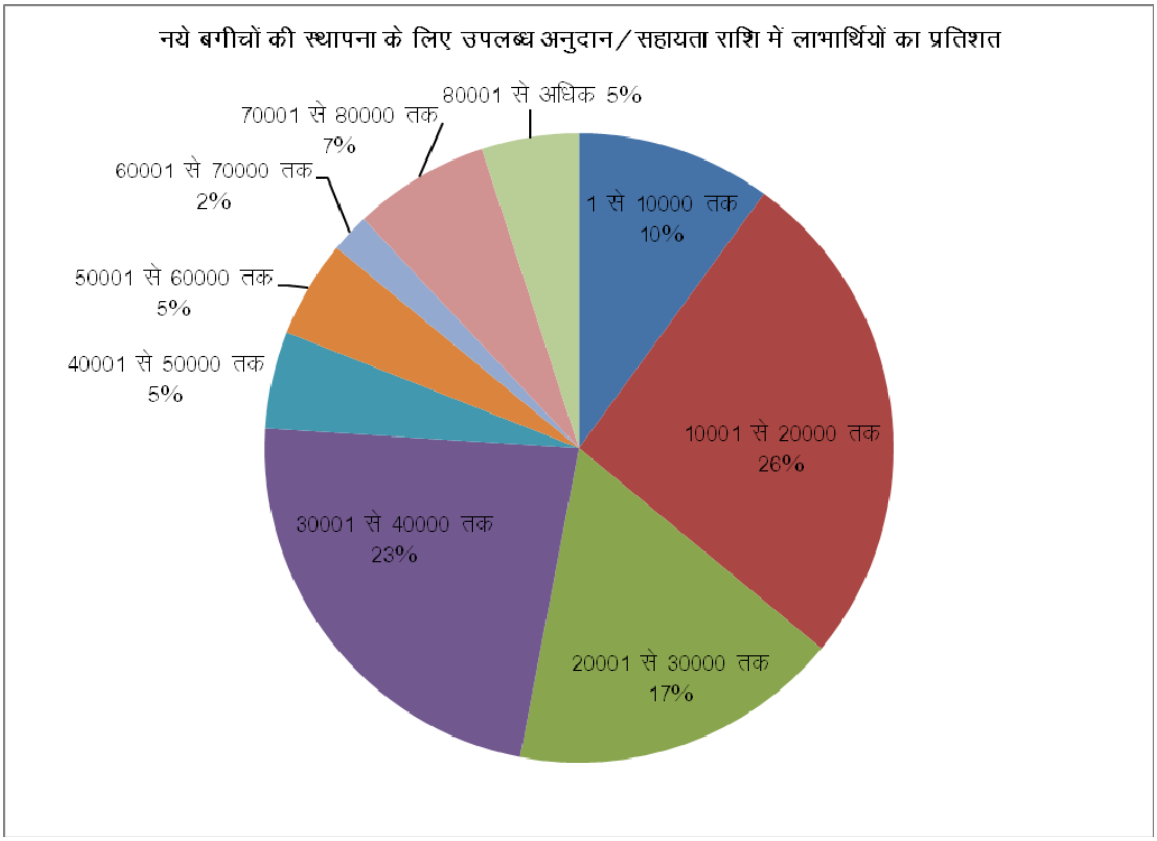

3.5.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुदान/सहायता राशि का भुगतान लाभान्वित कृषक को रोपित/स्थापित बगीचों के क्षेत्र के अनुसार ही किया गया है। जिस कृषक ने अधिक (हैक्टेयर) क्षेत्रफल में बाग स्थापित किये उसे अधिक अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है तथा जिस कृषक ने कम क्षेत्रफल में बाग स्थापित किया उसे उसी अनुपात में कम अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है।

3.5.3 अनुदान की तीनों किश्तें समय पर प्राप्त हो गई, के प्रश्न के उत्तर में 83 प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उन्हें तीनों किश्तों का भुगतान समय पर हुआ है, शेष 17 प्रतिशत लाभार्थियों ने इस तथ्य से इन्कार करते हुये अवगत कराया कि तृतीय वर्ष में पौधों के भौतिक सत्यापन में अधिक समय लगने से/भौतिक सत्यापन के समय बगीचों में पौधों की संख्या 90 प्रतिशत से कम पाये जाने के कारण उन्हें तृतीय किश्त का भुगतान नहीं हुआ। शत–प्रतिशत सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने अनुदान/ सहायता राशि विभाग द्वारा समय पर उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। विभाग द्वारा वर्तमान में दी जा रही अनुदान/सहायता राशि को मात्र 3 प्रतिशत

लाभार्थियों ने पर्याप्त बताया, शेष 97 प्रतिशत लाभार्थियों ने एवं शत–प्रतिशत सरकारी/ गैर–सरकारी अधिकारियों ने अपर्याप्त बताया। 97 प्रतिशत लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने उर्वरक व पौध संरक्षण रसायनों की कीमतों में हुई वृद्धि के मध्यनजर वर्तमान अनुदान/सहायता राशि की दरों को दुगना करने का सुझाव दिया।

3.6.0 नये क्षेत्र में बगीचों की स्थापना के चयनित लाभार्थी कृषकों की वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी हुई या नहीं के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर 37 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों ने वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी होना स्वीकार किया किन्तु 63 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों ने वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी नहीं होना बताया। जिन लाभार्थी कृषकों ने वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी होना स्वीकार किया उनमें से 32 प्रतिशत लाभार्थियों ने अमरूद के बगीचों से 20–30 प्रतिशत तक तथा 68 प्रतिशत लाभार्थियों ने संतरे के बगीचों से 10–25 प्रतिशत तक वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी होने की जानकारी दी। वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी से इन्कार करने वाले लाभार्थी कृषकों में से 21 प्रतिशत लाभार्थियों ने अनार के बगीचों में लगने वाले फल खराब होने से तथा 79 प्रतिशत लाभार्थियों ने संतरे के पौधे छोटे होने से उन पर फल नहीं आने के कारण उनकी वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी नहीं होने की जानकारी दी। इस प्रकार अमरूद व संतरे के स्थापित बगीचों से कृषकों की वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी होना प्रारम्भ हो गया है तथा पौधे परिपक्व होने पर लाभार्थी कृषकों की वार्षिक आय में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी, किन्तु क्षेत्र में स्थापित अनार के बगीचों में फल खराब होने से वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी के स्थान पर कमी (हानि) होने से स्थापित बगीचों के स्थान पर अमरूद/संतरे के पौधे पुनः लगाने की इच्छा सम्बन्धित कृषकों द्वारा जाहिर की गयी।

3.6.1 शत–प्रतिशत चयनित लाभार्थियों ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित बाग–बगीचों से उत्पादित फलों की बिक्री के लिये विभागीय विपणन व्यवस्था नहीं होने से विपणन व्यवस्था स्थानीय बाजारों में अपने स्तर से ही करने की जानकारी दी। विभागीय विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादित फलों का मूल्य निर्धारण, कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर फल मण्डी की व्यवस्था के साथ–साथ अन्य जिलों में फलों के विपणन के लिये माल भाड़े में अनुदान/सहायता का प्रावधान करने का सुझाव शत–प्रतिशत लाभार्थी कृषकों द्वारा दिया गया।

3.6.2 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना योजना को चयनित लाभार्थियों में से 73 प्रतिशत लाभार्थियों ने अच्छी, 22 प्रतिशत लाभार्थियों ने सन्तोषजनक एवं 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने खराब बताया। खराब होने का मुख्य कारण उद्यान विभाग की क्षेत्रीय पौध शाला से अनार की खराब पौध उपलब्ध कराने से फल पकते समय खराब होने से लाभ के स्थान पर हानि होना बताया। इस प्रकार योजना को अधिकांश लाभार्थी कृषकों के उपयोगी एवं अच्छा बताया।

3.6.3 चयनित लाभार्थियों में से 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने योजना को भविष्य में भी निरन्तर करने तथा 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने योजना को निरन्तर नहीं रखने की सलाह दी। योजना को भविष्य में निरन्तर नहीं रखने वाले लाभार्थियों से कारण जानने पर उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में उपलब्ध करवायी जा रही अनार की पौध उन्नत किस्म की नहीं होने के कारण पौधों पर लगने वाले फल भी अच्छी किस्म के नहीं होते जिससे वह खराब जल्दी होते है। और कृषकों को स्थापित बगीचों से लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। उन्नत किस्म की पौध नहीं होने से एक ओर कृषक को स्थापित बाग–बगीचों में खराब फल आने से आय नहीं होती है दूसरी ओर स्थापित बाग–बगीचा क्षेत्र में अन्य फलस यथा गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि नहीं उगा सकने से कृषक को उस आय से भी वंचित रहना पड़ता है। कार्य के दौरान अधिकांश लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से विचार–विमर्श करने पर योजना को उपयोगी तथा कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी में सहायक सिद्ध होना बताया।

.....

अध्याय–चतुर्थ

कठिनाइयाँ एवं सुझाव

4.1.0 आधुनिक कृषि तकनीक के हस्तान्तरण हेतु उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य के 13 जिलों में शुरू की गयी। वर्ष 2006–07 में 4 जिले, वर्ष 2007–08 में 6 जिले तथा वर्ष 2008–09 में एक जिला राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं 9 जिलों में उद्यानिकी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा किया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा कौशल विकास आदि पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन में विशेष ध्यान दिया जाकर प्रति इकाई अधिकतम आमदनी से कृषकों की आय में उत्तरोतर वृद्धि के लिये विभाग प्रयासरत है। उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मूल्यांकन अध्ययन के क्षेत्र कार्य के दौरान लाभार्थी कृषकों, सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान मिशन के क्रियान्वयन में अनुभूत की गयी कठिनाइयों एवं उनके निवारण हेतु दिये गये सुझावों का विवरण निम्नानुसार है :

4.1.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य के 24 जिलों में स्वीकृत जिलेवार फसलों के लिये ही अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाती है। जलवायुवीय बदलती स्थितियों में चयनित जिलेवार फसलों के अतिरिक्त अन्य फसल जिससे कृषक को अधिक आमदनी प्राप्त हो सके, उस फसल के लिये अनुदान/ सहायता राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाकर कृषकों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। अतः चयनित जिलेवार फसलों के अतिरिक्त अन्य फसल जो क्षेत्र के लिये उपयुक्त हो उसके लिये भी अनुदान/ सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किया जाना उचित होगा।

4.1.2 फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र की अनिवार्य स्थापना के बाद ही कृषक को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। एक या दो हैक्टेयर क्षेत्र में नये बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र लगाने पर कम क्षेत्र होने से संयंत्र महंगा पड़ता है तथा बगीचा लगाने के प्रारम्भिक वर्षों में कृषक बगीचा क्षेत्र में ही अन्य फसल यथा गेहूं, जौ, बाजरा, सब्जियां आदि फसलों की पैदावार से आय प्राप्त करता है जिससे प्रारम्भिक वर्षों में ड्रिप का उपयोग कृषक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः फलदार बगीचों के लिये ड्रिप संयंत्र की अनिवार्य स्थापना के स्थान पर ऐच्छिक स्थापना का प्रावधान योजना में किये जाने से योजना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

4.1.3 फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमता युक्त उन्नत किस्मों की पौध की व्यवस्था कृषक स्तर से नहीं की जाकर राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अथवा राजहंस नर्सरी के माध्यम से कृषकों को पौध उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार नये बागानों की स्थापना के लिये राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी / राजहंस नर्सरी से पौध लेना कृषक के लिये अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र कार्य के दौरान कृषकों ने अवगत कराया कि इन सोसायटियों से उन्नत किस्म की पौध समय पर उपलब्ध नहीं होती है। अतः सोसायटी में पौध क्रय की अनिवार्यता के स्थान पर ऐच्छिक व्यवस्था होनी चाहिये अर्थात यदि कृषक अन्य माध्यम/ स्थान से पौध क्रय करना चाहे तो उसे अनुदान/ सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान योजना में किया जाना चाहिये।

4.1.4 नये बागानों की स्थापना से पूर्व कृषकों को आवश्यक तकनीकी/ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। कृषकों को आवश्यक तकनीकी/ प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा नहीं दिया जाकर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। इससे कृषकों को पूर्ण तकनीकी/ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। अतः नये बागानों की स्थापना के इच्छुक कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था के साथ कृषकों को जिन क्षेत्रों में बागानों की स्थापना की गयी है उन क्षेत्रों का दौरा/ भ्रमण करवाकर बागानों की पूर्ण तकनीकी/ प्रशिक्षण दिये जाने से कृषक प्रेरित होकर अधिक रूचि से कार्य कर पायेंगे।

4.1.5 नये स्थापित फल, बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। क्षेत्र कार्य के समय उक्त जानकारी का बोर्ड नहीं पाया गया जिससे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित बागानों एवं निजी स्थापित बागानों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः योजना में बोर्ड लगाने के दिशा निर्देशों की पालना की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिये।

4.1.6 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथा सम्भव समूह में किये जाने का प्रावधान है। मिशन के अन्तर्गत स्थापित बगीचों से उत्पादित फसलों, फलों के विपणन व शीत भण्डारण व्यवस्था का अभाव है। उत्पादित फसलें जल्दी खराब होने के भय से तथा विभागीय विपणन व्यवस्था का अभाव होने से कृषकों को इन फसलों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अतः बागानों से उत्पादित फसलों के लिये शीत भण्डारण व विपणन व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जावे जिससे कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा एवं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

4.1.7 योजनान्तर्गत स्थापित बाग बगीचों की स्थापना हेतु वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही अनुदान/ सहायता राशि को लाभार्थियों व सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों ने कीमतों में बढ़ोतरी होने से अपर्याप्त बताते हुये अनुदान/ सहायता राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की। अतः लागत राशि को मध्य नजर रखते हुए अनुदान/ सहायता राशि बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

4.1.8 किसी भी कार्यक्रम/योजना के मूल्यांकन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएं राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत/ नोडल स्तर पर उपलब्ध हो तथा साथ ही उसमें एकरूपता भी हो। इस योजना के मूल्यांकन के दौरान राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संचालित भौतिक तथा वित्तीय सूचनाओं में एकरूपता तथा सामन्जस्य का अभाव पाया गया, जो दर्शाता है कि निदेशालय स्तर पर योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आंकड़ों में संगति तथा एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर पूरे प्रदेश में योजना के संचालन/ प्रगति की जिलेवार सूचना एक ही प्रारूप में संधारित की जावे तथा जिला स्तर की इकाइयों के माध्यम से योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

सारांश :

राजस्थान में उद्यानिकी विकास को ध्यान में रखते हुए फल उद्यान समूहों की स्थापना, सब्जी प्रदर्शन, पौध रोपण सामग्री, कृषक प्रशिक्षण व आधारभूत ढांचे के विकास के उद्धेश्य से उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये उद्यानों की स्थापना योजना एक सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन हेतु पौधशालाओं का विकास, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने बगीचों का जीर्णोद्वार, जल स्त्रोतो का विकास कीट व्याधि प्रबन्धन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जो कृषक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है एवं उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। परन्तु योजना के मूल्यांकन के दौरान योजना क्रियान्वयन की कुछ कठिनाइयां व समस्याएं दृष्टिगोचर हुई है जिसमें से प्रमुखतः राज्य के जिलों में स्वीकृत जिलेवार फसलों के लिए अनुदान/ सहायता उपलब्ध कराना, बगीचों के लिए ड्रिप संयत्र की अनिवार्यता, बगीचों की स्थापना हेतु पौधे की व्यवस्था कृषक स्तर पर न करना, कृषकों को पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जाना, विभागीय विपणन व्यवस्था का अभाव आदि है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित कर योजना को और अधिक प्रभावी, लोकप्रिय एवं सफल बनाया जा सकता है।

.....

परिशिष्ट–'अ'

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जिलेवार चयनित फसलें

क्र.सं.	जिला	चयनित फसलें
1	अजमेर	आंवला, बेलपत्र, बेर, नींबू, पपीता, अमरूद, अनार, मौसमी, गुलाब
2	अलवर	आंवला, बेलपत्र, बेर, अनार, पपीता, नींबू, मौसमी, गुलाब
3	बांसवाड़ा	आम, अमरूद, आंवला, नींबू, पपीता, अनार, मेथी, लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्च, गुलाब
4	बारां	संतरा, नींबू, मौसमी, अमरूद, आंवला, बेलपत्र, धनिया, लहसुन, मेथी
5	बाड़मेर	नींबू, बेर, आंवला, जीरा
6	भीलवाड़ा	अमरूद, बेलपत्र, नींबू, बेर, आंवला, अनार, संतरा, जीरा, धनिया
7	बूंदी	अमरूद, चीकू, आंवला, नींबू, धनिया
8	चित्तौड़गढ़	पपीता, आंवला, आम, अमरूद, संतरा, नींबू, बेलपत्र, सीताफल, धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी
9	डूंगरपुर	आम, बेर, नींबू, आंवला, बेलपत्र, सीताफल
10	जयपुर	आंवला, बेलपत्र, नींबू, पपीता, अनार, अमरूद, बेर, जीरा, मेथी, गुलाब
11	जालौर	बेर, अनार, आंवला, बेलपत्र, जीरा, मिर्च, सौंफ
12	झालावाड़	मौसमी, आंवला, संतरा, पपीता, नींबू, धनिया, मेथी, लहसुन
13	झुन्झुनुं	नींबू, अनार, जोजोबा, बेर, बेलपत्र, आंवला, मैथी
14	जोधपुर	बेर, अनार, आंवला, बेलपत्र, नींबू, लहसुन, जीरा, सौंफ, मिर्च
15	करौली	आंवला, आम, अमरूद, नींबू, धनिया, मिर्च
16	कोटा	संतरा, अमरूद, नींबू, पपीता, अनार, आंवला, धनिया, मेथी, लहसुन, गुलाब
17	नागौर	नींबू, बेर, आंवला, पपीता, बेलपत्र, जीरा, मैथी
18	पाली	बेर, बेलपत्र, आंवला, अनार, नींबू, जीरा, सौंफ, मैथी, मिर्च
19	सवाईमाधौपुर	अनार, आंवला, आम, पपीता, बेर, अमरूद, नींबू, धनिया, मैथी, जीरा, सौंफ, मिर्च
20	सिरोही	आम, अमरूद, बेलपत्र, अनार, आंवला, बेर, चीकू, पपीता, नींबू, सौंफ
21	श्रीगंगानगर	किन्नू, अनार, मौसमी, जोजोबा, आंवला, बेर, नींबू
22	टोंक	अमरूद, नींबू, बेलपत्र, पपीता, आंवला, अनार, जीरा, मिर्च, सौंफ, गुलाब
23	उदयपुर	अमरूद, आम, बेलपत्र, आंवला, सीताफल, चीकू, नींबू, मौसमी
24	जैसलमेर	बेर, आंवला, नींबू, अनार, जीरा

परिशिष्ट–'ब'

योजनान्तर्गत जिलेवार भौतिक प्रगति का विवरण

(हैक्टेयर)

क्र. सं	सम्भाग	जिला	2012–13		2013–14		2014–15		योग	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	जयपुर	जयपुर	485	321.25	585	283.06	442.	126.00	1512	730.31
2		अलवर	200	199.77	300	230.09	260	128.00	760	557.86
3		दौसा	-	-	-	-	-	-	-	-
4		सीकर	-	-	-	-	-	-	-	-
5		झुन्झुनू	170	102.10	200	93.66	150	42.00	520	237.76
		योग	**855**	**623.12**	**1085**	**606.81**	**852**	**296.00**	**2792**	**1525.93**
6	जोधपुर	जोधपुर	200	157.00	150	108.50	160	73.00	510	338.50
7		जालौर	150	120.00	150	48..10	153	74.00	453	242.10
8		पाली	125	130.40	150	175.32	210	149.40	485	455.12
9		बाड़मेर	150	51.00	100	50.00	200	46.00	450	147.00
10		सिरोही	110	85.00	130	130.00	187	93.00	427	308.00
11		जैसलमेर	100	2.00	100	102.54	150	15.00	350	119.54
		योग	**835**	**545.40**	**780**	**614.46**	**1060**	**450.40**	**2675**	**1610.26**
12	अजमेर	अजमेर	285	237.40	310	187.20	211	90.46	806	515.06
13		टोंक	275	300.68	235	242.92	323	180.00	833	723.60
14		भीलवाड़ा	250	301.60	400	362.32	340	139.00	990	802.92
15		नागौर	260	80.00	170	140.51	218	29.30	648	249.81
		योग	**1070**	**919.68**	**1115**	**932.95**	**1092**	**438.76**	**3277**	**2291.39**
16	कोटा	कोटा	250	247.71	360	271.26	400	309.04	1010	828.01
17		बूंदी	125	93.50	100	48.40	100	85.00	325	226.90
18		बारां	200	144.80	200	93..00	240	132.00	640	369.80
19		झालावाड़	1750	1604.00	2000	3100.00	5500	6800.00	9250	11504.00
		योग	**2325**	**2090.01**	**2660**	**3512.66**	**6240**	**7326.04**	**11225**	**12928.71**
20	उदयपुर	उदयपुर	125	99.58	125	52.31	160	37.00	410	188.89
21		चित्तौड़गढ़	260	173.72	285	130.38	238	101.00	783	405.10
22		डूगरपुर	150	94.90	100	80.72	170	22.00	420	197.62
23		बांसवाड़ा	300	327.30	250	253.63	250	350.00	800	930.93
24		राजसमन्द	-	-	-	-	-	-	-	-
25		प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**835**	**695.50**	**760**	**517.04**	**818**	**510.00**	**2413**	**1722.54**
26	बीकानेर	बीकानेर	-	-	-	-	-	-	-	-
27		चुरू	-	-	-	-	-	-	-	-
28		गंगानगर	880	328.20	550	297.00	500	78.00	1930	703.20
29		हनुमानगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**880**	**328.20**	**550**	**297.00**	**500**	**78.00**	**1930**	**703.20**
30	भरतपुर	भरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
31		धौलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
32		सवाई माधोपुर	350	192.40	250	132.81	241	120.60	841	445.81
33		करौली	150	34.30	100	15.60	100	18.00	350	67.90
		योग	**500**	**226.70**	**350**	**148.41**	**341**	**138.60**	**1191**	**513.71**
	महायोग		**7300**	**5428.61**	**7300**	**6629.33**	**10903**	**9237.80**	**25503**	**21295.74**

परिशिष्ट–'स'

योजनान्तर्गत जिलेवार वित्तीय प्रगति का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं	सम्भाग	जिला	2012–13		2013–14		2014–15		योग	
			आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय
1	जयपुर	जयपुर	90.98	51.46	106.01	49.01	74.08	16.99	271.07	117.46
2		अलवर	32.41	22.83	48.31	19.40	38.88	4.00	119.60	46.23
3		दौसा	-	-	-	-	-	-	-	-
4		सीकर	-	-	-	-	-	-	-	-
5		झुन्झुनू	25.86	14.83	31.26	11.83	17.45	2.52	74.57	29.18
		योग	**149.25**	**89.12**	**185.58**	**80.24**	**130.41**	**23.51**	**465.24**	**192.87**
6	जोधपुर	जोधपुर	25.48	19.70	20.00	23.03	21.67	12.11	67.15	54.84
7		जालौर	18.52	18.95	17.02	7.99	20.26	8.53	55.80	35.47
8		पाली	16.19	18.15	20.16	26.47	30.08	13.86	66.43	58.48
9		बाड़मेर	16.48	4.60	12.23	5.52	26.90	6.76	55.61	16.88
10		सिरोही	18.75	9.89	20.50	14.75	33.29	11.92	72.54	36.56
11		जैसलमेर	12.22	0.25	12.00	6.36	19.70	1.81	43.92	8.42
		योग	**107.64**	**71.54**	**101.91**	**84.12**	**151.90**	**54.99**	**361.45**	**210.65**
12	अजमेर	अजमेर	44.24	37.08	49.26	30.60	36.86	11.56	130.36	79.24
13		टोंक	39.07	47.22	35.62	37.70	51.50	17.00	126.19	101.92
14		भीलवाड़ा	39.89	51.14	65.84	36.50	45.19	18.79	150.92	106.43
15		नागौर	32.53	8.92	24.05	20.93	31.58	3.33	88.16	33.18
		योग	**155.73**	**144.36**	**174.77**	**125.73**	**165.13**	**50.68**	**495.63**	**320.77**
16	कोटा	कोटा	33.73	35.84	51.22	28.19	54.48	19.71	139.43	83.74
17		बूंदी	16.87	7.70	12.89	0.75	14.00	3.77	43.76	12.22
18		बारां	25.78	14.58	25.78	7.16	33.06	8.06	84.62	29.80
19		झालावाड़	278.30	256.73	314.02	357.00	668.74	603.92	1261.06	1217.65
		योग	**354.68**	**314.85**	**403.91**	**393.10**	**770.28**	**635.46**	**1528.87**	**1343.41**
20	उदयपुर	उदयपुर	16.88	15.12	15.10	8.14	21.50	1.02	53.48	24.28
21		चित्तौड़गढ़	32.53	22.94	35.00	19.87	36.23	12.17	103.76	54.98
22		डूगरपुर	17.17	10.74	12.92	8.45	18.25	1.36	48.34	20.55
23		बांसवाड़ा	43.80	42.49	33.30	32.40	29.87	15.30	106.97	90.19
24		राजसमन्द	-	-	-	-	-	-	-	-
25		प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**110.38**	**91.29**	**96.32**	**68.86**	**105.85**	**29.85**	**312.55**	**190.00**
26	बीकानेर	बीकानेर	-	-	-	-	-	-	-	-
27		चुरू	-	-	-	-	-	-	-	-
28		गंगानगर	141.62	52.90	80.10	48.10	66.33	4.80	288.05	105.80
29		हनुमानगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**141.62**	**52.90**	**80.10**	**48.10**	**66.33**	**4.80**	**288.05**	**105.80**
30	भरतपुर	भरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
31		धौलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
32		सवाई माधोपुर	48.71	19.72	31.50	13.39	32.23	13.91	112.44	47.02
33		करौली	18.14	4.89	12.50	2.40	14.00	4.48	44.64	11.77
		योग	**66.85**	**24.61**	**44.00**	**15.79**	**46.23**	**18.39**	**157.08**	**58.79**
	महायोग		**1086.15**	**788.67**	**1086.59**	**815.94**	**1436.13**	**817.68**	**3608.87**	**2422.29**